H13

लोक सभा

वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

सोलहवीं लोक सभा

01.08.2018 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

01.08.2018 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
अगस्त, 2018/*श्रावण*, 1940 (*शक*)

सीबीआईआई सं॰ 554

मूल्य: ₹ 80.00

© 2018 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (पंद्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110 002 द्वारा मुद्रित।

विषय-सूची

पृष्ठ

संयुक्त समिति की संरचना ..... (iii)

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन 1

परिशिष्ट

एक. संयुक्त समिति को विधेयक सौंपने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव 4

दो. संयुक्त समिति को विधेयक सौंपने के लिए राज्य सभा में प्रस्ताव 6

तीन. उन पणधारकों/आम लोगों की सूची, जिनसे 07.09.2017 को जारी प्रेस-विज्ञप्ति के उत्तर में संयुक्त समिति द्वारा ज्ञापन प्राप्त हुए थे 7

चार. उन पणधारकों की सूची जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष ज्ञापन और साक्ष्य प्रस्तुत किए 10

पांच. उन पणधारकों की सूची जिनके साथ संयुक्त समिति ने दिनांक 03 अक्तूबर, 2017 से 05 अक्तूबर, 2017 तक मुम्बई में अनौपचारिक चर्चा की..... 12

छह. संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव — समय विस्तार 14

सात. वित्त मंत्री से प्राप्त विधेयक को वापस लेने के लिए प्रस्ताव हेतु सूचना जिसमें इसे वापस लेने के कारण अंतर्विष्ट हों 15

आठ. संयुक्त समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश 17

वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति की संरचना

^श्री भूपेन्द्र यादव — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अनिल शिरोले
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. डॉ॰ किरीट सोमैया
5. श्री निशिकान्त दुबे
6. श्री जैदेव गल्ला
7. श्री गौरव गोगोई
*8. श्री सुधीर गुप्ता
9. डॉ॰ संजय जायसवाल
10. श्री पी॰ करुणाकरन
11. श्री गजानन कीर्तिकर
12. श्री भर्तृहरि महताब
13. श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौडा
14. श्री जगदम्बिका पाल
15. श्री चिराग पासवान
16. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
17. प्रो॰ सौगत राय
18. श्री गोपाल शेट्टी
19. श्री अभिषेक सिंह
20. श्री शिवकुमार उदासि
21. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल

राज्य सभा

22. श्री आनन्द शर्मा
23. श्री नरेश गुजराल

---

^ 4.4.2018 से पुनः संयुक्त समिति के सदस्य और सभापति नियुक्त किए गए।

* 4.9.2017 से मंत्री नियुक्त किए जाने के कारण श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा संयुक्त समिति से त्यागपत्र दिए जाने के कारण 27.12.2017 से नियुक्त।

24. श्री भुवनेश्वर कालिता
25. श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
26. श्री प्रफुल्ल पटेल
@27. श्री महेश पोद्दार
#28. श्री सुखेन्दु शेखर राय
29. श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह
30. श्री रवि प्रकाश वर्मा

सचिवालय

1. श्रीमती सुदेश लूथरा	—	अपर सचिव
2. श्री जे॰ वी॰ जी॰ रेड्डी	—	निदेशक
3. श्री सुन्दर प्रसाद दास	—	अपर निदेशक
4. श्रीमती मृगांका अचल	—	अवर सचिव
5. श्री प्रेम रंजन	—	समिति अधिकारी

वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि
(आर्थिक कार्य विभाग)

1. श्री सुभाष चन्द्र गर्ग	—	सचिव
2. श्री दिनेश शर्मा	—	विशेष सचिव
3. डॉ॰ एम॰एम॰ कुट्टी	—	विशेष सचिव
4. डॉ॰ शशांक सक्सेना	—	एडवाइजर (एफएसआरएल)

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि
(विधायी विभाग)

1. डॉ॰ जी॰ नारायण राजू	—	सचिव
2. डॉ॰ एन॰आर॰ बट्टू	—	संयुक्त सचिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल
3. श्री दिवाकर सिंह	—	एडिशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री सुरेश चन्द्र	—	विधि सचिव
2. डॉ॰ राजीव मणि	—	संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार
3. डॉ॰ आर॰जे॰आर॰ कासीभाटला	—	उप विधि सलाहकार

@ 2.4.2018 को श्री अजय संचेती का राज्य सभा में कार्यकाल पूरा होने के कारण 3.4.2018 से नियुक्त।

18.8.2017 को श्री सुखेन्दु शेखर राय का राज्य सभा में कार्यकाल पूरा होने के पश्चात् उन्हें 19.3.2018 से पुनः संयुक्त समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।

वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

मैं, उस संयुक्त समिति का सभापति जिसे ''वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017'' शीर्षक से जो विधेयक भेजा गया था उस पर समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किए जाने पर उक्त विधेयक के संबंध में यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय व्यवस्था की स्थिरता व उसमें लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामले को लेकर करस्थम में वित्तीय सेवा प्रदाता के कतिपय प्रवर्गों; वित्तीय सेवाओं के कतिपय प्रवर्गों के उपभोक्ता को निक्षेप बीमा; प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था को अभिहित करना; और विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए समाधान निगम की स्थापना तथा वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और आघात सहनीयता को सुनिश्चित करने के लिए लोक निधि के लिए समाधान के लिए तथा उनसे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना है। जैसा कि उद्देश्य और कारणों के विवरण में बताया गया है, इस विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित विधान के प्रयोजनार्थ एक समाधान निगम की स्थापना, कतिपय वित्तीय सेवा प्रदाताओं के अभिधान और कतिपय कोष के गठन के उपबंध की बात कही गई है और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के निरसन व कतिपय अधिनियमों में संशोधन का प्रयत्न किया गया है। दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के साथ इस प्रस्तावित विधान से अर्थव्यवस्था के लिए एक व्यापक समाधान तंत्र के प्रबंधन की उम्मीद की गई है।

3. यह विधेयक लोक सभा में 10 अगस्त, 2017 को पुर:स्थापित किया गया। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति में भेजने का प्रस्ताव लोक सभा में पेश किया गया था (परिशिष्ट एक)। उक्त प्रस्ताव पर राज्य सभा में 11 अगस्त, 2017 को सहमति जताई गई (परिशिष्ट दो)।

समिति में हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा

4. समिति की कुल 13 बैठकें हुईं। 6 सितम्बर, 2017 को हुई पहली बैठक में समिति ने विधेयक के उपबंधों पर सामान्य चर्चा की व समानुदेशिक कार्य को पूरे करने की कार्य-प्रणाली पर विचार-विमर्श किया और विधेयक के उपबंधों की व्यापक महत्ता के मद्देनजर समिति ने यह निर्णय किया कि विधेयक की व्यापक व गहन जांच-पड़ताल के निमित्त एक विधेयक के उपबंधों पर विभिन्न पणधारकों व आम जन-मानस से ज्ञापन मंगाए जाएं और समिति में उनके विचारों को सुना जाए। तदनुसार, ज्ञापन आमंत्रित करने वाली प्रेस विज्ञप्ति डीएवीपी के जरिए विज्ञापन देकर जारी की गई जिसके जवाब में 35 ज्ञापन प्राप्त हुए जो समिति के सदस्यों को परिचालित किए गए (परिशिष्ट तीन)। समिति ने आगे मुम्बई आधारित पणधारकों के साथ अनौपचारिक सलाह-मशविरा करने/उनके विचारों को जानने के लिए वहां का अध्ययन दौरा करने का निर्णय किया। आर्थिक मामलों के विभाग के प्रतिनिधियों ने समिति को विधान की पृष्ठभूमि व उसमें किए गए विभिन्न उपबंधों के बारे में संक्षेप में बताया।

5. समिति ने 13 सितम्बर, 2017 को हुई अपनी दूसरी बैठक में संबद्ध मंत्रालयों/विभागों: यथा वित्तीय सेवा विभाग, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के विचारों को सुना। 20 सितम्बर, 2017 को हुई तीसरी बैठक में समिति ने जांच एजेंसियों/स्टेकहोल्डरों; यथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एएसएसओसीएचएएम) के विचारों को सुना।

6. समिति ने मुम्बई का अध्ययन दौरा किया और वहां मुम्बई आधारित पणधारकों मुख्यत: विनियामकों; यथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/निजी बैंकों, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए), बीमा कम्पनियों, कुछेक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और विशेषज्ञ संगठनों आदि से अनौपचारिक सलाह-मशविरे किए/उनके विचारों को सुना।

7. समिति ने क्रमश: 14 नवम्बर, 2017, 6 दिसम्बर, 2017, 12 जनवरी, 2018, 22 जनवरी, 2018 और 22 फरवरी, 2018 को हुई अपनी चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं बैठकों में कुछ और पणधारकों के विचार सुने जिनमें आरबीआई के गवर्नर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई); भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई); कुछेक को-ऑपरेटिव बैंक एसोसिएशन/फेडरेशन: आरबीआई/बैंक्स एसोसिएशन्स; विशेषज्ञ संगठन/विशेषज्ञ आदि शामिल हैं। समिति ने 14 मार्च, 2018 को हुई अपनी नौवीं बैठक में उस कार्य की समीक्षा की जिसे समिति द्वारा अभी किया जाना है और आगे मानसून सत्र 2018 के अंतिम दिन तक समय का विस्तार करने की मांग करने का निर्णय किया। समिति ने अपनी उत्तरोत्तर बैठकों अर्थात् 14 मई, 2018, 4 जून, 2018 और 19 जून, 2018 को हुई दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं बैठकों में कुछ और पणधारकों के विचार सुने जिनमें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई), पेंशन फंड रेगुलेटरी एण्ड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (पीएफआरडीए), इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) आदि जैसे कुछेक लेखा संगठन शमिल हैं।

8. जैसाकि ऊपर विस्तार से बताया गया है, समिति ने 69 पणधरकों के विचार सुने जिनमें 6 केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग शामिल हैं। उन मंत्रालयों/संगठनों/स्टेकहोल्डरों का ब्यौरा जिनके विचारों को समिति ने अपनी बैठकों में व अध्ययन दौरा के दौरान सुना, **परिशिष्ट चार और पांच** में दिया गया है।

सभा द्वारा स्वीकृत समय विस्तार

9. सभा के अधिदेश के अनुसार समिति के प्रतिवेदन को अगले सत्र (शीतकालीन सत्र, 2017) के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक अर्थात् 15.12.2017 तक समिति के प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत किया जाना था। समिति को विधेयक से संबंधित प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और उसे प्रस्तुत करने के लिए दो बार समय विस्तार दिया गया है, अर्थात् पहला 13.12.2017 से 06.04.2018 तक और दूसरा 16.03.2018 से मानसून सत्र 2018 के अंतिम दिन तक। (**परिशिष्ट-छह**)

'वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017' को वापस लिए जाने हेतु प्रस्ताव की सूचना

10. वित्त मंत्री ने 23.07.2018 को वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 को वापस लिए जाने हेतु प्रस्ताव तथा तत्संबंधी कारणों के विवरण की सूचना दी जिसको लोक सभा के

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 110 के परंतुक 1 के अंतर्गत संयुक्त समिति को सौंपा गया। (परिशिष्ट-सात)

विधेयक वापस लेने के कारणों संबंधी विवरण इस प्रकार हैं:—

''वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक लोक सभा में 10.08.2017 को प्रस्तुत किया गया था तत्पश्चात्, संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया था। समिति से विधेयक पर अपनी रिपोर्ट चालू मानसून सत्र के अंतिम दिन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक में, अन्य बातों के साथ-साथ संकटग्रस्त वित्तीय फर्मों की स्थिरता और नम्यता में योगदान देकर, वित्तीय सेवाओं के कतिपय श्रेणियों के उपभोक्ताओं को निक्षेप बीमा प्रदान कराकर, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं की निगरानी करके और वित्तीय संस्थाओं के उपभोक्ताओं और सरकारी निधियों को संभव सीमा तक संरक्षित करके एक स्वतंत्र समाधान निगम (आरसी) के सृजन हेतु एक समर्थकारी कानून बनाने की मांग की गयी थी।

जनता सहित हितधारकों ने एफआरडीआई विधेयक के उपबंधों के संबंध में ठप्प हो रही बैंक के समाधान के लिए बेल-इन साधन का प्रयोग करने, निक्षेप बीमा कवर की अपर्याप्तता और बीमा सीमा को पर्याप्त रूप से संशोधित करने की महसूस की गयी आवश्यकता, और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए समाधान संरचना की अनुप्रयोज्यता जैसी कतिपय आशंकाएं जाहिर की हैं। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए व्यापक जांच और पुनर्विचार अपेक्षित होगा। अतः यह उचित है कि विधेयक वापस ले लिया जाए।

उपर्युक्त के दृष्टिगत एफआरडीआई विधेयक अधिनियमित करने का विधायी प्रस्ताव वापस लिया जा रहा है और इस विषय की आगे व्यापक जांच और पुनर्विचार किए जाने में समर्थ होने के लिए लोक सभा से एफआरडीआई विधेयक वापस लिया जा रहा है।''

समिति की सिफारिश

11. समिति की दिनांक 30.07.2018 को हुई अपनी बैठक में तत्संबंधी कारणों के विवरण जो कि विधेयक को वापस लेने हेतु प्रस्ताव की सूचना के साथ लगे हैं पर विचार किया। विचार-विमर्श करने के उपरांत समिति ने विधेयक को वापस लेने के सरकार के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्ति की। तद्नुसार, समिति सिफारिश करती है कि विधेयक को वापस लेने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए।

12. समिति की दिनांक 30.07.2018 को हुई बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन विचार कर उसे स्वीकार किया गया।

नई दिल्ली;
31 जुलाई, 2018

भूपेन्द्र यादव,
सभापति,
वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017
संबंधी संयुक्त समिति।

परिशिष्ट एक

(*देखिए* प्रतिवेदन का पैरा 3)

(10 अगस्त, 2017 का समाचार भाग-एक)

संयुक्त समिति को विधेयक सौंपने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव

''कि करस्थम् में वित्तीय सेवा प्रदाता के कतिपय प्रवर्गों; वित्तीय सेवाओं के कतिपय प्रवर्गों के उपभोक्ता को निक्षेप बीमा; प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था को अभिहित करना; और विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए समाधान निगम की स्थापना तथा वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और आघात सहनीयता को सुनिश्चित करने के लिए लोक निधि के लिए समाधान के लिए तथा उनसे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 30 सदस्यीय संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें इस सभा से 20 सदस्य होंगे, अर्थात्:-

1. डॉ॰ किरीट सोमैया
2. श्री गोपाल शेट्टी
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. श्री निशिकांत दुबे
5. श्री शिवकुमार उदासि
6. श्री अनिल शिरोले
7. श्री अभिषेक सिंह
8. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
9. श्री संजय जायसवाल
10. श्री जगदम्बिका पाल
11. श्री जैदेव गल्ला
12. श्री गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर
13. श्री चिराग पासवान
14. श्री गौरव गोगोई
15. श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमेगौड़ा
16. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल
17. प्रो॰ सौगत राय
18. श्री भर्तृहरि महताब
19. श्री कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी
20. श्री पी॰ करुणाकरन

और राज्य सभा से 10 सदस्य;

यह कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने हेतु गणपूर्ति, संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

यह कि समिति अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिवस तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन देगी;

यह कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किए जाएं; और

यह कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सहयोजित हो और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 10 सदस्यों के नामों की सूचना इस सभा को दे।''

परिशिष्ट दो

(*देखिए* प्रतिवेदन का पैरा 3)

(11 अगस्त, 2017 का समाचार भाग-एक)

संयुक्त समिति को विधेयक सौंपने के लिए राज्य सभा में प्रस्ताव

''कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमति प्रकट करती है कि यह सभा करस्थम में वित्तीय सेवा प्रदाता के कतिपय प्रवर्गों; वित्तीय सेवाओं के कतिपय प्रवर्गों के उपभोक्ताओं को निक्षेप बीमा; प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था को अभिहित करना; और विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए समाधान निगम की स्थापना तथा वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और आघात सहनीयता को सुनिश्चित करने के लिए लोक निधि के लिए समाधान के लिए तथा उनसे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में शामिल हो और यह संकल्प करती है कि राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए नाम निर्देशित किया जाए:—

1. श्री अजय संचेती
2. श्री भूपेन्द्र यादव
3. श्री नरेश गुजराल
4. श्री आनन्द शर्मा
5. श्री भुवनेश्वर कालिता
6. श्री प्रफुल्ल पटेल
7. श्री रवि प्रकाश वर्मा
8. श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह
9. श्री सुखेन्दु शेखर राय
10. श्री सतीश चन्द्र मिश्रा।''

परिशिष्ट तीन

(*देखिए* प्रतिवेदन का पैरा 4)

उन पणधारकों/आम लोगों की सूची, जिनसे 07.09.2017 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के उत्तर में संयुक्त समिति को ज्ञापन प्राप्त हुए थे।

क्रम सं॰	व्यक्ति/संगठन का नाम
1	2
1.	श्री पी॰एस॰ नटराजन* ईमेल : nspblitz@gmail.com
2.	श्री शिवकुमार दुरैयपांडी* ईमेल: sivakumar1.d@gmail.com
3.	यशवंत राव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबई, कृषि एवं सहकारिता मंच, 2144/45, सदाशिव पथ, विशाल सहायद्री सदन, तिलक रोड, पुणे–411 030
4.	पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च इंस्ट्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च स्टडीज, तीसरी मंजिल, गंधर्व महाविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली–110 002
5.	ऑल इंडिया बैंक इम्पलॉयज एसोएिशन, प्रभात निवास, सिंगापुर प्लाजा, 164, लिंघी छेत्ती स्ट्रीट, चेन्नई–600 001 ईमेल: chv.aibea@gmail.com, aibeahq@gmail.com
6.	ऑल इंडिया बैंक आफिसर्स (श्रमिक संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत पंजीकृत, पंजीयन सं॰ : 3427/दिल्ली) भारतीय स्टेट बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, चौथी मंजिल, भारतीय स्टेट बैंक प्रशासनिक एकक सं॰ 86, राजाजी सलाय, चेन्नई–600 001 ईमेल: aiboc.sectt@gmail.com
7.	श्री आर॰ वैद्यनाथन ईमेल: vid5856@gmail.com
8.	ड्यूश बैंक, ग्लोबल मार्केट, द कैपिटल, चौदहवां तल, जी ब्लॉक, सी–70, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुंबई–400 051 ईमेल: shibani.rao@db.com, srinivas.varadaradan@db.com
9.	श्री विनयचन्द्रन एस, नवनीथम, केएलआरए, 444ए, कुकिलिया लेन जगाथी, त्रिवेंद्रम 695 014 ईमेल: vinchand59@gmail.com

*प्रत्येक से दो विज्ञप्तियां प्राप्त हुईं।

1	2
10.	विधि सेंट्रल फॉर लीगल पॉलिसी, डी-359, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110 024 ईमेल: vclp@vidhilegalpolicy.in
11.	ज्यूरिस कार्प, एडवोकेट्स एंड सालिसिट्र्स, 902, टावर-2, इंडिया बुल्स, फाइनेंस सेंटर, एस बी मार्ग, एलफिन्सटॉन रोड (डब्ल्यू) मुंबई 400 013, भारत ईमेल: jayesh.h@jclex.com, shan.bottlewalla@jclex.com nikita.chawla@jclex.com
12.	एशिया सिक्यूरिटीज इंडस्ट्री एंड फाइनेंसियल मार्किट्स एसोसिएशन (एएसआईएफएनए) यूनिट 3603, टावर 2, लिपो सेंटर, 89, क्वींस वे, एडमिरालटी, हांगकांग ईमेल: mausten@asifma.org
13.	चुटका परमाणु विरोधी संघर्ष समिति, नारायण गंज, मांडला, म॰प्र॰ ईमेल: manavraj79@gmail.com
14.	बारगी बंद विस्थापित एवं प्रभावित संघ, जबलपुर, म॰प्र॰ ईमेल: rajkumarbargi@gmail.com
15.	श्री राजेन्द्र रवि, निदेशक, इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड सस्टेनेबिलिटी (आईडीबीएस) ईमेल: idsinitiative@gmail.com, rajendraravi1857@gmail.com
16.	सुश्री माधवी बंसल, ईमेल: madhavibansal92@gmail.com
17.	नेशनल एलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट्स, 5/6, जंगपुरा बी, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110 014 ईमेल: napmindia@gmail.com
18.	मैगलीन पी ईमेल: maglinep@gmail.com
19.	जॉय एथियाली, प्रिया दर्शनी, विमल भाई ईमेल: priyasushila@gmail.com
20.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, * 18/2, सत्संग विहार मार्ग, विशेष सांस्थानिक क्षेत्र निकट जेएनयू, नई दिल्ली-110 006
21.	नेशनल फेडरेशन ऑफ अरबन कोआपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसायटीज लि॰ (एनएएफसीयूबी), बी 14, तीसरी मंजिल, ए ब्लॉक, शॉपिंग काम्पलेक्स, नारायणा विहार, रिंग रोड, नई दिल्ली-110 028 ईमेल: coop@nafcub.org

*दो विज्ञप्तियां प्राप्त हुईं।

1	2
22.	पुणे जिल्हा नगरी सहकारी बैंक्स एसोसिएशन लि॰ पुणे, ईमेल: punebankasso@gmail.com punebankasso@yahoo.com
23.	अहमदनगर जिला, शहरी सहकारी बैंक एसोसिएशन लि॰, अहमदनगर
24.	मनी लाइफ फाउंडेशन, 304, तीसरा तल, हिन्द सर्विस इंडस्ट्रीज परिसर, कार्या.–वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर (प॰), मुंबई–400028 ईमेल: foundation@moneylife.in sucheta@moneylife.in, editor@moneylife.in
25.	नीना फाउंडेशन मुंबई, 240/11, शंकर सदन, प्रथम तल, सियोन (ई), मुंबई–400022 ईमेल: ninafoundation@gmail.com, ketnam@gmail.com
26.	ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स और रिटायरिज कनफेडरेशन (एआईबीपीएआरसी), द्वारा बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन, बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता, मुख्य शाखा, 23ए, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता–700001 ईमेल: aibparc@gmail.com
27.	द महाराष्ट्र अरबन कोऑपरेटिव बैंक्स फेडेरेशन लि॰, भारतीय क्रीडा मंदिर, चौथा तल, वाडाला, मुंबई–400031, P.B. No. 7120 ईमेल: admin@mucbf.com
28.	कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी, डी 217, भास्कर मार्ग, बनी पार्क, जयपुर–302016 ईमेल: gc@cuts.org; cuts@cuts.org
29.	बालाकेदरार वेदिके (पंजी॰), उडुप्पी, कंज्यूमर फोरम उडुप्पी, कारपोरेशन बैंक रोड, नार्थ स्कूल कम्पाउंड, उडुप्पी, 576101 (उडुप्पी जिला कर्नाटक) ईमेल: consmforum@gmail.com
30.	न्यू ट्रेड यूनियन इनसिएटिव, बी 137, दयानंद कॉलोनी, प्रथम तल, लाजपत नगर, पार्ट–चार, नई दिल्ली–110024 ईमेल: secretariat@ntui.org.in
31.	उडुप्पी सिनीयर सिटीजन्स एसोसिएशन (पंजी), बार मेमोरियल के सामने, अजारकड, उडुप्पी–576101
32.	बैंक इम्पलायज फेडरेशन ऑफ इंडिया, नरेश पॉल सेंटर, 53 राधा बाजार लेन, (प्रथम तल), कोलकाता–700001 ईमेल: pradipbefi@yahoo.co.in

परिशिष्ट चार

(*देखिए* प्रतिवेदन का पैरा 8)

उन पणधारकों की सूची जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष ज्ञापन और साक्ष्य प्रस्तुत किये

क्र०सं०	पणधारकों के नाम	साक्ष्य लिए जाने की तिथि
1	2	3
1.	वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)	6 सितंबर, 2017
2.	विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग)	6 सितंबर, 2017
3.	विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग)	6 सितंबर, 2017
4.	वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)	13 सितंबर, 2017
5.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	13 सितंबर, 2017
6.	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	13 सितंबर, 2017
7.	श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय	13 सितंबर, 2017
8.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	13 सितंबर, 2017
9.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	13 सितंबर, 2017
10.	केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)	20 सितंबर, 2017
11.	प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)	20 सितंबर, 2017
12.	एसोचैम	20 सितंबर, 2017
13.	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)	20 सितंबर, 2017
14.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)	14 नवंबर, 2017
15.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल)	14 नवंबर, 2017
16.	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)	14 नवंबर, 2017
17.	इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर)	6 दिसंबर, 2017
18.	ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन (एआईबीईए)	6 दिसंबर, 2017
19.	ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (एआईबीओसी)	6 दिसंबर, 2017
20.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी (एनआईपीएफपी)	12 जनवरी, 2018

1	2	3
21.	नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड (एनएएफसीयूबी)	12 जनवरी, 2018
22.	श्री एमआर उमरजी, सेवानिवृत्त, कार्यकारी निदेशक,. आरबीआई	22 जनवरी, 2018
23.	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)	22 जनवरी, 2018
24.	सोसाइटी ऑफ इन्सॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स ऑफ इंडिया (एसआईपीआई)	22 जनवरी, 2018
25.	ज्यूरिस कॉर्प एडवोकेट्स एंड सोलिसिटर्स	22 जनवरी, 2018
26.	नेशनल अलायन्स ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स (एनएपीएम)	22 जनवरी,2018
27.	अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एसोसिएशन लिमिटेड	22 जनवरी, 2018
28.	आल इंडिया रिजर्व बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन	22 जनवरी, 2018
29.	भारतीय रिजर्व बैंक	12 फरवरी, 2018
30.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)	14 मई, 2018
31.	इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई)	14 मई, 2018
32.	इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई)	4 जून, 2018
33.	इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई)	4 जून, 2018
34	पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण	19 जून, 2018
35.	श्री यगा वेनुगोपाल रेड्डी* भूतपूर्व गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं अध्यक्ष, चौदहवां वित्त आयोग	—

*संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परिशिष्ट पांच

(*देखिए* प्रतिवेदन का पैरा 8)

उन पणधारकों की सूची जिनके साथ संयुक्त समिति ने 03 अक्तूबर, 2017 से 05 अक्तूबर, 2017 तक मुम्बई में अनौपचारिक चर्चा की

क्र॰ सं॰		पणधारकों के नाम	जिस तारीख पर अनौपचारिक चर्चा आयोजित की गई थी
1		2	3
1.	(i)	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई)	3 अक्टूबर, 2017
	(ii)	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई)	
2.	(i)	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी)	3 अक्टूबर, 2017
	(ii)	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	
	(iii)	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था समिति (इरेडा)	
	(iv)	बजाज फाइनेंस लिमिटेड*	
	(v)	महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड*	
	(vi)	कोटक महिंद्रा बैंक	
	(vii)	वित्त उद्योग विकास परिषद (एफआईडीसी)	
3.	(i)	सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल)	3 अक्टूबर, 2017
	(ii)	नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)	
	(iii)	नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएससीसीएल)	
	(iv)	क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)	
4.		भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)	4 अक्टूबर, 2017
5.		भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)	4 अक्टूबर, 2017
6.	(i)	भारत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)	4 अक्टूबर, 2017
	(ii)	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	
	(iii)	भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी)	
	(iv)	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (कोलकाता, मुख्यालय)	
	(v)	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (चेन्नाई, मुख्यालय)	

1		2	3
7.	(i)	इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए)	5 अक्टूबर, 2017
	(ii)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई)	
	(iii)	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई)	
	(iv)	बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई)	
	(v)	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई)	
	(vi)	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	
8.	(i)	आईसीआईसीआई	5 अक्टूबर, 2017
	(ii)	एचडीएफसी	
	(iii)	एक्सिस बैंक	
	(iv)	आईडीएफसी बैंक	
9.	(i)	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	5 अक्टूबर, 2017
	(ii)	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)*	
	(iii)	क्रेडिट रेटिंग इनफार्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल)	
	(iv)	फिच रेटिंग*	
	(v)	जे एम फाइनेंशियल	
	(vi)	फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई)	

*लिखित ज्ञापन जमा नहीं किया था।

परिशिष्ट छह

(*देखिए* प्रतिवेदन का पैरा 10)

(18.12.2017 का समाचार भाग-एक)

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव—समय विस्तार

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने निम्नलिखित प्रस्ताव की घोषणा की—

''माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015'' संबंधी संयुक्त समिति ने विधेयक पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए मानसून सत्र 2018 के अंतिम दिवस तक और समय बढ़ाए जाने की मांग करने का निर्णय लिया है क्योंकि सभा द्वारा बढ़ाई गई समय-सीमा अर्थात् 15 दिसंबर, 2017 तक प्रतिवेदन को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। इसी प्रकार, वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति ने बजट सत्र 2018 के अंतिम दिवस तक समय बढ़ाए जाने की मांग करने का निर्णय लिया है क्योंकि समिति का प्रतिवेदन सभा द्वारा प्रदान की गई समय-सीमा अर्थात् 15 दिसंबर, 2017 तक तैयार नहीं हो सकेगा। इन दोनों संयुक्त समितियों को समय विस्तार देने संबंधी प्रस्ताव 15 दिसंबर, 2017 को सभा में पेश नहीं किया जा सका क्योंकि निधन संबंधी उल्लेख के बाद सभा स्थगित हो गई थी। अत:, मैंने सभा की ओर से इन दोनों संयुक्त समितियों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए मांगा गया समय विस्तार प्रदान कर दिया है।''

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव—समय विस्तार

(16.03.2018 का समाचार भाग-एक)

श्री भर्तृहरि महताब ने निम्नलिखित प्रस्ताव की घोषणा कि—

'कि यह सभा वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय मानसून सत्र 2018 के अंतिम दिवस तक बढ़ाती है।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

परिशिष्ट सात

(*देखिए* प्रतिवेदन का पैरा 12)

वित्त मंत्री से प्राप्त विधेयक को वापस लेने के लिए प्रस्ताव हेतु सूचना जिसमें इसे वापस लेने के कारण अंतर्विष्ट हैं, वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 को वापस लिए जाने हेतु प्रस्ताव

दिनांक 20 जुलाई, 2018

संख्या ए-11017/1/2015-एफएसएलआरसी

सेवा में,

महासचिव,
लोक सभा,
नई दिल्ली।

महोदया,

मैं लोक सभा के चालू सत्र के दौरान ''वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017'' को वापस लेने की अनुमति देने और विधेयक वापस लेने के अपने आशय का नोटिस देता हूं।

भवदीय,

ह०/-
(पीयूष गोयल)
वित्त मंत्री

अध्यक्ष, लोक सभा के निदेशों के निदेश 36 के तहत 'वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017' वापस लेने के कारणों संबंधी विवरण

वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक लोक सभा में 10 अगस्त, 2017 को प्रस्तुत किया गया था और तत्पश्चात संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया था। समिति से विधेयक पर अपनी रिपोर्ट चालू मानसून सत्र के अंतिम दिन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

2. वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक के अन्य बातों के साथ-साथ, संकटग्रस्त वित्तीय फर्मों की स्थिरता और नम्यता में योगदान देकर, वित्तीय सेवाओं की कतिपय श्रेणियों के उपभोक्ताओं को निक्षेप बीमा प्रदान करने प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं की निगरानी करके और वित्तीय संस्थाओं के उपभोक्ताओं और सरकारी निधियों को संभव सीमा तक संरक्षित करके एक स्वतंत्र समाधान नियम (आरसी) के सृजन हेतु एक समर्थकारी करनून बनाने की मांग की गई थी।

3. जनता सहित हितधारकों ने एफआरडीआई विधेयक के उपबंधों के संबंध में ठप्प हो रही बैंक के समाधान के लिए बेल-इन साधन का प्रयोग करने निक्षेप बीमा कवर की अपर्याप्तता और बीमा सीमा को पर्याप्त रूप से संशोधित करने की महसूस की गई आवश्यकता, और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए समाधान संरचना की अनुप्रयोज्यता जैसी कतिपय आशंकाएं जाहिर की हैं। इन मुददों का समाधान करने के लिए व्यापक जांच और पुनर्विचार अपेक्षित होगा। अत: यह उचित है कि विधेयक वापस से लिया जाए।

4. उपर्युक्त के दृष्टिगत, एफआरडीआई विधेयक अधिनियमित करने का विधायी प्रस्ताव वापस लिया जा रहा है और इस विषय कि आगे व्यापक जांच और पुनर्विचार किए जाने में समर्थ होने के लिए लोक सभा से एफआरडीआई विधेयक वापस लिया जा रहा है।

ह०/-

(पीयूष गोयल)

वित्त मंत्री

परिशिष्ट आठ

वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति की पहली बैठक का कार्यवाही वृत्तान्त

समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 06 सितम्बर, 2017 को अपराह्न 3.00 बजे से 4.30 बजे तक समिति कक्ष 'ख', भूतल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री भूपेन्द्र यादव — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अनिल शिरोले
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. डॉ॰ किरीट सोमैया
5. श्री निशिकान्त दुबे
6. श्री गौरव गोगोई
7. डॉ॰ संजय जायसवाल
8. श्री पी॰ करूणाकरन
9. श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा
10. श्री जगदम्बिका पाल
11. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
12. श्री गोपाल शेट्टी
13. श्री शिवकुमार उदासि
14. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल

राज्य सभा

15. श्री नरेश गुजराल
16. श्री भुवनेश्वर कालिता
17. श्री प्रफुल्ल पटेल
18. श्री अजय संचेती
19. श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह
20. श्री रवि प्रकाश वर्मा

विशेष आमंत्रिती

श्री सुखेंदु शेखर रॉय

सचिवालय

1. श्रीमती सुदेश लूथरा	—	अपर सचिव
2. श्री जे०वी०जी० रेड्डी	—	निदेशक
3. श्री लक्ष्मीकांत सिंह	—	उप सचिव

मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

1. श्री दिनेश शर्मा	—	विशेष सचिव (आ.का.)
2. डॉ० शशांक सक्सेना	—	सलाहकार (एफएसआरएल)
3. श्री वीरेन्दर सिंह	—	निदेशक

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

1. डॉ० जी० नारायण राजू	—	सचिव
2. डॉ० एन०आर० बट्टू	—	संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार
3. श्री दिवाकर सिंह	—	अपर विधायी सलाहकार

विधिक कार्य विभाग

1. श्री सुरेश चन्द्र	—	विधि सचिव
2. डॉ० राजीव मणि	—	संयुक्त सचिव और विधिक सलाहकार
3. डॉ० आर०जे०आर० कासीभाटला	—	उप विधिक सलाहकार

2. सभापति ने संयुक्त समिति की पहली बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें अवगत कराया कि वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 की जांच करने और आगामी सत्र अर्थात्, शीतकालीन सत्र 2017 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के अधिदेश के साथ दिनांक 10 अगस्त, 2017 को लोक सभा में प्रस्तुत और स्वीकृत प्रस्ताव और दिनांक 11 अगस्त, 2017 को उस पर राज्य सभा द्वारा सहमति देने के आधार पर सदन की संयुक्त समिति का गठन किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का उल्लेख करते हुए सभापति ने बताया कि एफआरडीआई विधेयक और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 से हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक व्यापक समाधान तंत्र स्थापित होने की अपेक्षा की गई है। विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ समाधान निगम की स्थापना, कतिपय वित्तीय सेवा प्रदाताओं का नामनिर्देशन और प्रस्तावित कानून के प्रयोजनार्थ कतिपय धनराशि की व्यवस्था करना तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के निरसन की मांग और कतिपय अधिनियमनों में संशोधन करना शामिल है। तत्पश्चात्, सभापति ने समिति को सौंपे गए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए

सदस्यों का सहयोग मांगा।

3. तत्पश्चात्, समिति ने सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए प्रविधियों पर विचार-विमर्श किया और यह निर्णय लिया कि उपरोक्त विधेयक के उपबंधों पर विभिन्न हितधारकों और लोगों से मत और सुझाव आमंत्रित करके डीएवीपी के माध्यम से मीडिया में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाए। तत्पश्चात, समिति ने मुंबई स्थित विभिन्न हितधारकों विशेषकर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), एसबीआई, सरकारी क्षेत्र के बैंकों/निजी बैंकों, भारतीय बैंक संघ, बीमा कंपनियों, बहु-राज्य सहकारी बैंकों और कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और विशेषज्ञों आदि के साथ अनौपचारिक परामर्श/उनके दृष्टिकोण को जानने के लिए मुंबई का अध्ययन दौरा करने का निर्णय लिया है।

[तत्पश्चात, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) और विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधायी कार्य विभाग) के प्रतिनिधियों को बुलाया गया।]

4. सभापति ने वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामले विभाग) और विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधायी कार्य विभाग) के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उनका ध्यान समिति की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा जारी निदेशों के अन्तर्गत निदेश संख्या 55(1) की ओर आकर्षित किया।

5. तत्पश्चात्, विशेष सचिव, आर्थिक कार्य विभाग ने विधान की पृष्ठभूमि, समाधान प्रणाली की आवश्यकता, विद्यमान प्रणाली में कमियों, वित्तीय कंपनियों के समाधान हेतु प्रस्तावित विधायी ढांचे और वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 में किए गए प्रावधानों का संक्षिप्त उल्लेख किया। माननीय सदस्यों ने विचार-विमर्श के दौरान विधायी संबंधी विभिन्न अवधारणाओं/मामलों के संबंध में प्रश्न किए जिनका मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने उत्तर दिया। जिन मुद्दों पर सूचना उपलब्ध नहीं थी उनके विषय में प्रतिनिधियों को लिखित उत्तर भेजने को कहा गया।

तत्पश्चात्, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति की दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक बुधवार, 13 सितंबर, 2017 को 1430 बजे से 1745 बजे तक समिति कक्ष सं. '3', ब्लॉक-'ए', प्रथम तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री भूपेन्द्र यादव — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अनिल शिरोले
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. डॉ॰ किरीट सोमैया
5. श्री निशिकांत दुबे
6. श्री गौरव गोगोई
7. डॉ॰ संजय जायसवाल
8. श्री पी॰ करूणाकरन
9. श्री गजानन कीर्तिकर
10. श्री भर्तृहरि महताब
11. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
12. प्रो॰ सौगत राय
13. श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी
14. श्री शिवकुमार उदासि
15. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल

राज्य सभा

16. श्री आनन्द शर्मा
17. श्री नरेश गुजराल
18. श्री भुवनेश्वर कालिता
19. श्री अजेय संचेती
20. श्री रवि प्रकाश वर्मा

विशेष आमंत्रिती

श्री सुखेंदु शेखर रॉय

सचिवालय

1. श्रीमती सुदेश लूथरा — अपर सचिव
2. श्री जे॰ वी॰ जी॰ रेड्डी — निदेशक

मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि जिन्होंने समिति की सहायता की

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

1. श्री दिनेश शर्मा — विशेष सचिव (ईए)
2. डॉ॰ शशांक सक्सेना — सलाहकार (एफएसआरएल)
3. श्री वीरेन्द्र सिंह — निदेशक

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

1. श्री एन॰ आर॰ बट्टू — संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता
2. श्री दिवाकर सिंह — अतिरिक्त विधायी परामर्शदाता

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री सुरेश चन्द्र — विधि सचिव
2. डॉ॰ राजीव मणि — संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि जो समिति के समक्ष साक्ष्य के लिए उपस्थित हुए

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

1. श्री राजीव कुमार — सचिव (डीएफएस)
2. श्री मदनेश कुमार मिश्रा — संयुक्त सचिव
3. श्री सुधीर श्याम — निदेशक

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

1. श्री तपन राय — सचिव
2. श्री अमरदीप सिंह भाटिया — संयुक्त सचिव
3. श्री के॰ वी॰ आर॰ मूर्ति — संयुक्त सचिव
4. सुश्री स्मिता झिंगरान — सचिव (सीसीआई)

कृषि और किसान कल्याण विभाग

1. श्री शोभना के॰ पटनायक — सचिव
2. श्री आशीष कुमार भूटानी — संयुक्त सचिव (कॉपरेशन एंड क्रेडिट)
3. श्रीमती कामना आर॰ शर्मा — उप आयुक्त (कॉपरेशन एंड क्रेडिट)

श्रम मंत्रालय

1.	श्रीमती एम॰ सत्यवती	—	सचिव
2.	श्री अरुण गोयल	—	एएस और एफए
3.	श्री आर॰ के॰ गुप्ता	—	संयुक्त सचिव
4.	श्री वी॰ पी॰ जॉय	—	केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ईपीएफओ
5.	श्री राज कुमार	—	महानिदेशक, ईएसआईसी
6.	श्रीमती संध्या शुक्ल	—	वित्त आयुक्त, ईएसआईसी

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

1.	श्रीमती जी॰ लता कृष्णा राव	—	सचिव
2.	श्री संदीप गुप्ता	—	निदेशक

जनजातीय कार्य मंत्रालय

1.	सुश्री लीना नायर	—	सचिव (टीए)
2.	श्री राजेश अग्रवाल	—	संयुक्त सचिव (टीए)

2. सर्वप्रथम, सभापति ने 'वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017' के उपबंधों पर वित्तीय सेवा विभाग, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए आयोजित की गई संयुक्त समिति की बैठक में सदस्यों व प्रतिनिधियों का स्वागत किया। सभापति ने आर्थिक कार्य विभाग तथा विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों का भी स्वागत किया और तत्पश्चात्, समिति के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य की गोपनीयता से संबंधित निर्देशों 55 और 58 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट किया।

3. तदुपरांत, सेवा विभाग के प्रतिनिधियों ने फिर अपने अधिदेश के संदर्भ में और वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग द्वारा संकटग्रस्त विशिष्ट वित्तीय सेवा प्रदाताओं की समस्याओं के समाधान हेतु रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन के लिए सिफारिशों के संदर्भ में विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे। उन्होंने विधेयक के विभिन्न पहलुओं के बारे में संक्षेप में स्पष्टीकरण किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के निरसन से संबंधित प्रावधान/उपबंध, वित्तीय संस्थाओं के समाधान की प्रक्रिया, रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन के अंतर्गत विभिन्न विनियामकों की भूमिका व कार्य, जोखिम आंकलन के मापदंड इत्यादि शामिल थे।

4. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने अपने अधिदेश के संदर्भ में विधेयक में अंतर्विष्ट उपबंधों पर अपने विचार रखे और अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया कि वे कंपनी अधिनियम, 2013, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में प्रस्तावित कतिपय संशोधनों से सहमत थे।

5. तत्पश्चात्, कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रतिनिधियों ने अपने अधिदेश के संदर्भ में विधेयक में अंतर्विष्ट प्रावधानों पर अपने विचार रखे। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 और कंपनी अधिनियम, 2013 से संबंधित विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों से सहमति जताते हुए मंत्रालय ने कहा कि एक बार सहकारी बैंक बंद हो जाए तो वह संस्था बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के

रूप में रहेगी और इसलिए परिसमापक को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार ही नियुक्त होगा और इस संबंध में प्रावधान भी जोड़ा जाना चाहिए। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में यह सब संशोधन करेंगे और क्रम सं॰ में कुछ बदलावों की आवश्यकता है क्योंकि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में अन्य संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

6. वित्तीय सेवा विभाग कॉरपोरेट मामले मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रतिनिधियों ने सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के प्रत्युत्तर में क्रमशः अपने-अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए और जिन प्रश्नों पर जानकारी उपलब्ध नहीं थी, उन्हें उनके संबंध में लिखित प्रत्युत्तर/स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया।

[तत्पश्चात्, प्रतिनिधि साक्ष्य देकर चले गए और तदुपरांत श्रम मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को साक्ष्य देने के लिए अंदर बुलाया गया]

7. श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि मंत्रालय का मूल अधिदेश कामगारों के लिए नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और पारिश्रमिक सुरक्षा है। उन्होंने सुझाव दिया कि किसी संस्था के बंद होने पर और उसकी संपत्ति के विवरण की स्थिति में जो भी बकाया कामगारों का है वह विधेयक की धारा 80 के अंतर्गत सुरक्षित होनी चाहिए। इसी प्रकार, कर्मचारियों/कामगारों की अदत्त भविष्य निधि को विधेयक में पारिश्रमिक और वेतन के भुगतान के लिए प्राथमिकता सूची का भाग बनाना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मंत्रालय के अंतर्गत दो स्वायत्त निकायों ईएसआईसी और ईपीएफओ के वित्तीय संस्थानों में निवेश हैं। ईएसआईसी का अधिशेष बैंकों में सावधि जमा में निवेश होता है जबकि ईपीएफओ राशि का 30 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या निजी कॉरपोरेट बांड में निवेश होता है और करीब 2.5 प्रतिशत निधि इक्विटी में निवेश होता है। उन्होंने सुझाव दिया कि ईएसआईसी और ईपीएफओ की इन राशि को विधेयक की धारा 80 के अंतर्गत वॉटरफाल मेकेनिज्म में उच्च प्राथमिकता सुरक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि इन दो निधियों का पैसा कर्मचारियों के हित के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं से लिया जाता है।

8. तत्पश्चात्, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि वे 4 निगमों के जरिए अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, विकलांग व्यक्तियों और सफाई कर्मचारियों व लाभार्थियों को ऋण सहायता देते हैं। इसके अलावा मंत्रालय का आईएफसीआई के साथ उद्यम पूंजी निधि है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये निधियां मंत्रालय द्वारा निगमों को कई बैंकों के जरिए लाभार्थियों को ऋण देने के लिए दी जाती हैं। चूंकि सरकारी देय राशि विधेयक की धारा 80 के अंतर्गत वाटरफाल मेकेनिज्म में वर्तमान में काफी कम है इसलिए मंत्रालय ने सुझाव दिया कि अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और विकलांगों को ऋण देने के लिए बैंकों में रखे सरकारी पैसे की सुरक्षा के लिए उसे वाटरफाल मेकेनिज्म में उच्च प्राथमिकता दी जाए।

9. जनजातीय मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि मंत्रालय का एक निगम है जो जनजातीय समुदाय के लोगों को विभिन्न बैंकों के जरिए ऋण देता है। चूंकि बैंकों में रखी सरकारी निधि विधेयक की धारा 80 के अंतर्गत वॉटरफाल मेकेनिज्म में निम्न प्राथमिकता पर है इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि इन निधियों की सुरक्षा के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझाव के अनुरूप इन्हें वॉटरफाल मेकेनिज्म में उच्च प्राथमिकता दी जाए।

10. श्रम मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के जवाब में अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए और जिन प्रश्नों के जवाब में जानकारी उपलब्ध नहीं थी। उनके संबंध में उन्हें लिखित उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

तत्पश्चात्, सदस्य साक्ष्य देकर चले गए।

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया है।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति की तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक बुधवार, 20 सितम्बर, 2017 को 1500 बजे से 1715 बजे तक समिति कक्ष 'डी', भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री भूपेन्द्र यादव — **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अनिल शिरोले
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. डॉ॰ किरीट सोमैया
5. श्री निशिकांत दुबे
6. श्री गौरव गोगोई
7. डॉ॰ संजय जायसवाल
8. श्री गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर
9. श्री भर्तृहरि महताब
10. श्री एस॰ पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा
11. श्री जगदम्बिका पाल
12. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
13. प्रो॰ सौगत राय
14. श्री शिवकुमार उदासि
15. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल

राज्य सभा

16. श्री आनन्द शर्मा
17. श्री नरेश गुजराल
18. श्री भुवनेश्वर कालिता
19. श्री अजय संचेती
20. श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह
21. श्री रवि प्रकाश वर्मा

विशेष आमंत्रिती

श्री सुखेंदु शेखर रॉय

सचिवालय

1. श्रीमती सुदेश लूथरा	—	अपर सचिव
2. श्री एस॰ लक्ष्मीकांत सिंह	—	उप सचिव

मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)

1. श्री दिनेश शर्मा	—	विशेष सचिव (ईए)
2. डॉ॰ शशांक सक्सेना	—	एडवाइजर (एफएसआरएच)
3. श्री वीरेंदर सिंह	—	निदेशक

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग)

1. श्री एन॰ आर॰ बट्टू	—	संयुक्त सचिव और लेजिस्लेटिव काउंसेल
2. श्री दिवाकर सिंह	—	एडिशनल लेजिस्लेटिव काउंसेल

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री सुरेश चन्द्र	—	विधि सचिव
2. डॉ॰ राजीव मणि	—	संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार
3. डॉ॰ आर॰ जे॰ आर॰ काशीभाटला	—	उप विधि सलाहकार

2. सर्वप्रथम, सभापति ने संयुक्त समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया जिसका आयोजन पहले भाग में वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 के सम्बन्ध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने और दूसरे भाग में कॉन्फेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) और एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एएसएसओसीएचएएम) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए किया गया था।

(एक) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

1. श्री आलोक कुमार वर्मा	—	निदेशक
2. श्री आर॰ के॰ अस्थाना	—	अपर निदेशक
3. श्री अरुण कुमार शर्मा	—	संयुक्त निदेशक (पी)
4. श्री ओ॰पी॰ वर्मा	—	निदेशक अभियोजन

(दो) प्रवर्तन निदेशालय

1. श्री करनाल सिंह	—	निदेशक
2. श्री देविंदर कुमार गुप्ता	—	विशेष निदेशक
3. श्री आशीष चन्द्र सिंह	—	उप विधिक सलाहकार

3. उपर्युक्त स्टेक होल्डर्स/जांच अभिकरणों के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने से पूर्व, सभापति ने समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की गोपनीयता से संबंधित अध्यक्ष के निदेश के निदेश 55 और 58 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। प्रतिनिधियों ने विधेयक के खंड 98–113 (अध्याय पंद्रह) में विहित शास्ति की तुलना में, विशेष रूप से वित्तीय अपराध/धोखाधड़ी के मामलों की जांच और फैसले के संदर्भ में उपरोक्त उल्लिखित विधेयक की जांच से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किये।

4. साक्ष्य के दौरान, अध्यक्ष और सदस्यों ने कुछ प्रश्न उठाए/स्पष्टीकरण मांगे जिनके उत्तर उपरोक्त एर्जेसियों के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए। प्रतिनिधियों से कहा गया कि जिन प्रश्नों के उत्तर उनके पास तुरंत उपलब्ध नहीं है उनके लिखित उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

तत्पश्चात साक्षी साक्ष्य देकर चले गये।

5. तत्पश्चात्, कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) और एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एएसएसओसीएचएएम) के प्रतिनिधियों को मौखिक साक्ष्य के दूसरे भाग के लिए बुलाया गया। प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, सभापति ने समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की गोपनीयता से संबंधित अध्यक्ष के निदेश के निदेश 55 और 58 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। मौखिक साक्ष्य के दौरान, निम्नलिखित प्रतिनिधि उपस्थित रहे;

(तीन) कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज

1. श्रीमती अनुराधा कपूर सलवान — निदेशक वित्तीय क्षेत्र (सीआईआई)
2. श्री आर॰ दीपक जोशी — उप निदेशक वित्तीय क्षेत्र (सीआईआई)
3. श्रीमती वीणा शिवरामाकृष्णन — भागीदार, शार्दूल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी

एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया

श्री विकाश खंडेलवाल — सीईओ, एसआरईआई इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड

6. प्रतिनिधियों ने विधेयक के अनेक खंडों पर प्रकाश डाला और विधान में यथा उपबंधित विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत किये और परिवर्तन/संशोधन करने का सुझाव दिया। साक्ष्य के दौरान अध्यक्ष और सदस्यों ने कुछ प्रश्न उठाए/स्पष्टीकरण मांगे, जिनके उत्तर उपरोक्त एर्जेसियों के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए। प्रतिनिधियों से कहा गया कि जिन प्रश्नों के उत्तर उनके पास तुरंत उपलब्ध नहीं हैं उनके लिखित उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

तत्पश्चात्, साक्षी साक्ष्य देकर चले गये।

7. कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया है।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति की चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, 14 नवम्बर, 2017 को 1100 बजे से 1230 बजे तक समिति कक्ष 'सी', भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री भूपेन्द्र यादव — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अनिल शिरोले
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. डॉ॰ किरीट सोमैया
5. श्री निशिकांत दुबे
6. डॉ॰ संजय जायसवाल
7. श्री पी॰ करुणाकरण
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्री एस॰ पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा
10. श्री जगदम्बिका पाल
11. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
12. प्रो॰ सौगत राय
13. श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी
14. श्री शिवकुमार उदासि
15. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल

राज्य सभा

16. श्री आनन्द शर्मा
17. श्री नरेश गुजराल
18. श्री भुवनेश्वर कालिता
19. श्री सतीश चन्द्र मिश्र
20. श्री रवि प्रकाश वर्मा

सचिवालय

1. श्रीमती सुदेश लूथरा	—	अपर सचिव
2. श्री जे॰ वी॰ जी॰ रेड्डी	—	निदेशक
3. श्री एस॰ लक्ष्मीकांत सिंह	—	उप सचिव

मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)

1. श्री दिनेश शर्मा	—	विशेष सचिव (ईए)
2. डॉ॰ शशांक सक्सेना	—	एडवाइजर (एफएसआरएल)
3. श्री अशोक कुमार सिन्हा	—	कंसल्टेंट (एफएसआरएल)

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग)

1. श्री एन॰ आर॰ बट्टू	—	संयुक्त सचिव और लेजिस्लेटिव काउंसेल
2. श्री दिवाकर सिंह	—	एडिशनल लेजिस्लेटिव काउंसेल

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री सुरेश चन्द्र	—	विधि सचिव
2. श्री सुधी रंजन मिश्रा	—	अपर सचिव
3. डॉ॰ राजीव मणि	—	संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार
4. डॉ॰ आर॰ जे॰ आर॰ काशीभाटला	—	उप विधि सलाहकार

2. सर्वप्रथम, सभापति ने वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 के उपबंधों पर ओरिएंटल बीमा कंपनी लि. और नेशनल हाउसिंग बैंक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए आयोजित की गई संयुक्त समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. सभापति ने समिति को बताया कि सभा के अधिदेश के अनुसार संयुक्त समिति को आगामी सत्र अर्थात् शीतकालीन सत्र, 2017 के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक विधेयक पर प्रतिवेदन को अंतिम रूप देकर प्रस्तुत करना है। समिति ने नोट किया कि उसने 3 से 5 अक्तूबर, 2017 तक मुंबई का अध्ययन दौरा किया और 36 पणधाारकों जिनमें विनियामक अर्थात् आरबीआई, आईआरडीएआई और सेबी, सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक और अन्य पणधारक शामिल हैं, के साथ अनौपचारिक विचार विमर्श/परामर्श किया। समिति ने यह भी नोट किया है कि उन्होंने अब तक विधेयक के उपबंधों के संबंध में 47 पणधारकों/संगठनों और संबंधित मंत्रालयों के विचारों और सुझावों को सुना है। इन तथ्यों पर विचार करते हुए कि संयुक्त समिति अभी विधेयक के उपबंधों के संबंध में कुछ और पणधारकों के विचार सुनेगी जिसके बाद सदस्यों से संशोधनों की सूचनाएं आमंत्रित की जाएंगी और विधेयक पर खंड-वार विचार किया जाएगा और इसके बाद प्रतिवेदन पर विचार कर उसे स्वीकार किया जाएगा, समिति ने विधेयक के संबंध में प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और उसे प्रस्तुत करने के लिए बजट सत्र, 2018 के अंतिम दिन तक का समय बढ़ाने की मांग करने का निर्णय लिया।

4. तत्पश्चात्, सीसीआई के निम्नलिखित प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया:—

(एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

1.	श्री देवेन्द्र कुमार सीकरी	—	चेयरपर्सन
2.	श्रीमती स्मिता झिंगरन	—	सचिव
3.	श्रीमती पायल मलिक	—	सलाहकार (आर्थिक)
4.	श्री मनोज पाण्डेय	—	सलाहकार (विधि)
5.	श्रीमती सिबानी स्वाईं	—	सलाहकार (आर्थिक)

5. इससे पहले कि समिति सीसीआई के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य सुनना आरंभ करती, सभापति ने समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की गोपनीयता से संबंधित अध्यक्ष के निदेश के निदेश 55 और 58 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। प्रतिनिधियों ने एफआरडीआई विधेयक, 2017, विशेषकर खंड 37(1) के संदर्भ में जिसमें विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाताओं के वर्गीकरण पर राय में मतभेद की स्थिति में परामर्श करने का उपबंध है, की जांच से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

6. साक्ष्य के दौरान, सदस्यों ने कतिपय प्रश्न उठाए/स्पष्टीकरण मांगे जिनका उत्तर सीसीआई के प्रतिनिधियों द्वारा दिया गया। प्रतिनिधियों से कहा गया कि वे उन प्रश्नों जिनके उत्तर उनके पास तुरंत उपलब्ध नहीं हैं के लिखित उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

तत्पश्चात्, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

7. तत्पश्चात् ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और नेशनल हाउसिंग बैंक के प्रतिनिधियों को विधेयक के उपबंधों पर अपने विचार रखने के लिए बुलाया गया। प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए सभापति ने समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की गोपनीयता से संबंधित अध्यक्ष के निदेश के निदेश 55 और 58 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। मौखिक साक्ष्य के दौरान निम्नलिखित प्रतिनिधि उपस्थित रहे:

(दो) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

1.	श्री ए॰वी॰ गिरिजाकुमार	—	अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक
2.	श्री वी॰ई॰ कैमल	—	निदेशक एवं महाप्रबंधक

(तीन) नेशनल हाउसिंग बैंक

1.	श्री श्रीराम कल्याणरमण	—	प्रबंध निदेशक और सीईओ
2.	श्री ए॰पी॰ सक्सेना	—	महाप्रबंधक

8. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने विधेयक में यथापरिभाषित बीमा कंपनी की परिभाषा से संबंधित कतिपय मुद्दों और व्यवहार्यता हेतु जोखिम की विभिन्न श्रेणियों को परिभाषित करने के लिए विशिष्ट मानदंड जो बीमा क्षेत्र के लिए संगत हैं, निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में बताया क्योंकि विधेयक में वर्तमान में दिए गए मानदंड व्यापक स्वरूप के हैं। उन्होंने बीमा क्षेत्र के लिए यथासंगत समांगी महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के डेजिगनेशन से संबंधित विशिष्ट मानदंड तैयार करने का सुझाव भी दिया।

9. नेशनल हाउसिंग बैंक के प्रतिनिधियों ने अन्य बातों के साथ-साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जो इसके साथ पंजीकृत हैं, के लिए विनियामक के तौर पर बैंक की भूमिका, एफआरडीआई विधेयक में समुचित विनियामक के तौर पर एनएचबी को शामिल करने की आवश्यकता और एनएचबी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के बजाए एफआरडीआई विधेयक के उपबंधों के अंतर्गत लाने के बारे में बताया।

10. सदस्यों ने विभिन्न प्रश्न उठाए/स्पष्टीकरण मांगे जिनका उत्तर उपर्युक्त निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा दिया गया। जिन प्रश्नों के उत्तर तुरंत उपलब्ध नहीं थे उनके लिए प्रतिनिधियों से कहा गया कि वे इनके लिखित उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दें।

तत्पश्चात् सदस्य साक्ष्य देकर चले गए।

11. कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया है।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति की पांचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक बुधवार, 06 दिसम्बर, 2017 को 1100 बजे से 1300 बजे तक समिति कक्ष 'बी', भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री भर्तृहरि महताब — कार्यवाहक सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अनिल शिरोले
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. श्री गौरव गोगोई
5. श्री पी॰ करूणाकरन
6. श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा
7. श्री जगदम्बिका पाल
8. श्री चिराग पासवान
9. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
10. प्रो॰ सौगत राय
11. श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी
12. श्री शिवकुमार उदासि
13. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल

राज्य सभा

14. श्री नरेश गुजराल
15. श्री भुवनेश्वर कालिता
16. श्री अजय संचेती

विशेष आमंत्रिती

श्री सुखेन्दु शेखर रॉय

सचिवालय

1.	श्री जे॰वी॰जी॰ रेड्डी	—	निदेशक
2.	श्री एस॰ लक्ष्मीकांत सिंह	—	उप सचिव

मंत्रालयों/समिति की सहायता करने वाले विभागों के प्रतिनिधि

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

1.	डॉ॰ शशांक सक्सेना	—	एडवाइजर (एफएसआरएल)
2.	श्री के॰एन॰ मिश्रा	—	उप सचिव (एफएसआरएल)
3.	श्री अशोक कुमार सिन्हा	—	परामर्शदाता (एफएसआरएल)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

1.	श्री एन॰आर॰ बट्टू	—	संयुक्त सचिव और लेजिस्लेटिव काउंसेल
2.	श्री दिवाकर सिंह	—	एडिशनल लेजिस्लेटिव काउंसेल

(विधिक कार्य विभाग)

1.	डॉ॰ राजीव मणि	—	संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार
2.	डॉ॰ आर॰जे॰आर॰ काशीभाटला	—	उप विधि सलाहकार

2. सर्वप्रथम, समिति ने समिति के सभापति की अनुपस्थिति में नियम 258 के अधीन श्री भर्तृहरि महताब को बैठक के लिए कार्यवाहक सभापति चुना। तत्पश्चात् कार्यवाहक सभापति ने ''वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017'' के उपबंधों पर इन्दिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), आल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन (एआईबीईए) और ऑल इंडिया बैंक आफिसर्स कन्फेडरेशन (एआईबीओसी) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए आयोजित की गई संयुक्त समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात्, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान के निम्नलिखित प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया:—

(एक) इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर)

सुश्री भार्गवी जावेरी — अनुसंधान परामर्शदाता, आईजीआईडीआर, एफआरजी

4. कार्यवाहक सभापति ने प्रतिनिधि का स्वागत किया और समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की गोपनीयता से संबंधित अध्यक्ष के निदेश के निदेश 55 और 58 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। प्रतिनिधि ने उपरोक्त विधेयक विशेषकर आईबीसी और एफआरडीआई विधेयक दोनों में वित्तीय सेवा प्रदाताओं को शामिल करने, आरसी की भूमिका और अधिकार तथा बेल-इन-प्रोवीजन की जांच से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

5. साक्ष्य के दौरान, सदस्यों ने कतिपय प्रश्न उठाए/स्पष्टीकरण मांगे जिनका उत्तर आईजीआईडीआर के प्रतिनिधि द्वारा दिया गया। प्रतिनिधि से कहा गया कि वे उन प्रश्नों, जिनके उत्तर उनके पास तुरंत उपलब्ध नहीं हैं, के लिखित उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

तत्पश्चात्, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

6. तत्पश्चात्, आल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन (एआईबीईए) और ऑल इंडिया बैंक आफिसर्स कन्फेडरेशन (एआईबीओसी) के प्रतिनिधियों को अंदर बुलाया गया। मौखिक साक्ष्य के दौरान निम्नलिखित प्रतिनिधि उपस्थित थे:—

(दो) ऑल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन (एआईबीईए)

1.	श्री सी॰एच॰ वेंकटाचलम	—	महासचिव
2.	श्री जे॰पी॰ शर्मा	—	उपाध्यक्ष

(तीन) ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (एआईबीओसी)

1.	श्री डी॰टी॰ फ्रैन्को	—	महासचिव
2.	श्री देवाशीष घोष	—	वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एआईबीओसी और महासचिव, ऑल इंडिया यूनियन बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन
3.	श्री जी॰वी॰ मणिमारन	—	वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एआईबीओसी और महासचिव, केनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन

7. प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए सभापति ने समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की गोपनीयता से संबंधित अध्यक्ष के निदेश के निदेश 55 और 58 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। तत्पश्चात् वे समिति के समक्ष साक्ष्य के लिए उपस्थित हुए। ऑल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन (एआईबीईए) और आल इंडिया बैंक आफिसर्स कन्फेडरेशन (एआईबीओसी) के प्रतिनिधियों ने विधेयक के विभिन्न खंडों पर अपने विचार प्रस्तुत किए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ (एक) परिसमापन से संबंधित खंड 63 (1), (दो) रिजाल्यूशन कॉरपोरेशन से संबंधित खंड तीन, (तीन) बेल-इन-प्रोवीजन से संबंधित खंड 52(1), (चार) ब्रिज सेवा प्रदाता से संबंधित धारा 50(1) और (4) तथा (पांच) बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां, बैंकों का विलयन और भारतीय बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाना शामिल है। सदस्यों ने कतिपय प्रश्न उठाए/स्पष्टीकरण मांगे जिनका उत्तर उपरोक्त निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा दिया गया। प्रतिनिधियों से कहा गया कि वे उन प्रश्नों, जिनके उत्तर उनके पास तुरंत उपलब्ध नहीं हैं, के लिखित उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

तत्पश्चात्, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

8. कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया है।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति की छठी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक शुक्रवार, 12 जनवरी, 2018 को 1130 बजे से 1300 बजे तक समिति कक्ष 'जी-074', भूमि तल, संसदीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री भूपेन्द्र यादव — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
3. श्री निशिकांत दुबे
4. श्री भर्तृहरि महताब
5. श्री एस॰ पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा
6. श्री जगदम्बिका पाल
7. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
8. प्रो॰ सौगत राय
9. श्री गोपाल शेट्टी
10. श्री शिवकुमार उदासि
11. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल

राज्य सभा

12. श्री नरेश गुजराल
13. श्री भुवनेश्वर कालिता
14. श्री अजय संचेती
15. श्री रवि प्रकाश वर्मा

सचिवालय

1. श्रीमती सुदेश लूथरा — अपर सचिव
2. श्री जे॰ वी॰ जी॰ रेड्डी — निदेशक
3. श्री एस॰ लक्ष्मीकांत सिंह — उप सचिव

मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि जिन्होंने समिति की सहायता की

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

1. डॉ॰ शशांक सक्सेना	—	एडवाइजर (एफएसआरएल)
2. श्री के॰ एन॰ मिश्रा	—	उपसचिव (एफएसआरएल)

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

1. डॉ॰ जी॰ नारायण राजू	—	सचिव
2. श्री एन॰ आर॰ बट्टू	—	संयुक्त सचिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल
3. श्री दिवाकर सिंह	—	एडिशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री सुरेश चन्द्र	—	सचिव
2. डॉ॰ राजीव मणि	—	संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार
3. डॉ॰ आर॰ जे॰ आर॰ काशीभाटला	—	उप विधि सलाहकार

2. सर्वप्रथम, सभापति ने सदस्यों का समिति की बैठक में स्वागत किया जिसका आयोजन वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 के उपबंधों के संबंध में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नेशनल फेडरेशन ऑफ अरबन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (एनएएफसीयूवी) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए किया गया था।

3. तत्पश्चात्, डॉ॰ इला पटनायक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया।

4. सभापति ने प्रतिनिधि का स्वागत किया और उनका ध्यान समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की गोपनीयता के संबंध में अध्यक्ष के निदेश के निदेश 55 और 58 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर आकृष्ट किया। तत्पश्चात्, प्रतिनिधि ने विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर अपने विचार प्रकट किए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ धारा 128 शामिल है जो निगम और समुचित विनियामक को ऐसे विशिष्ट सेवा प्रदाताओं जिन्हें तात्विक, आसन्न या व्यवहारिकता के लिए महत्वपूर्ण खतरे की श्रेणी में रखा गया है, से संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट सहित पर्यवेक्षण सूचना को साझा करने और उसके आदान-प्रदान करने के लिए अधिदेशित करती है। उन्होंने विधेयक की धारा 20(1) और 20(2) के संबंध में भी अपने विचार प्रस्तुत किए जिसमें इस अधिनियम के तहत कोई भी विनियम बनाने से पूर्व सभी संबंधित हितधारकों के साथ समाधान निगम और अन्य उपयुक्त विनियामकों से परामर्श करने और समाधान निगम द्वारा अपनी शक्तियों और कार्यों के संपादन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का उपबंध किया गया है।

5. साक्ष्य के दौरान सदस्यों ने कुछ प्रश्न किए जिनका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की प्रतिनिधि ने उत्तर दिया। जिन प्रश्नों के उत्तर तत्काल उपलब्ध नहीं थे उनके संबंध में, प्रतिनिधि से लिखित उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया।

तत्पश्चात्, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

6. तत्पश्चात्, नेशनल फेडरेशन ऑफ अरबन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (एनएएफसीयूबी) के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। मौखिक साक्ष्य के दौरान निम्नलिखित प्रतिनिधि उपस्थित थे:

दो. नेशनल फेडरेशन ऑफ अरबन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (एनएएफसीयूबी)

1. श्री आर॰ बी॰ शांडिल्य	—	कार्यवाहक अध्यक्ष
2. श्री वी॰ अनस्कर	—	उपाध्यक्ष
3. श्री ज्योतिन्द्र मेहता	—	निदेशक

7. प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए सभापति ने उनका ध्यान समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की गोपनीयता के संबंध में अध्यक्ष के निदेश के निदेश 55 और 58 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर आकृष्ट किया। तत्पश्चात्, नेशनल फेडरेशन ऑफ अरबन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (एनएएफसीयूबी) के प्रतिनिधियों ने विधेयक के अध्याय सत्रह के संबंध में अपने विचार प्रकट किए जिसमें पात्र सहयोगी बैंकों के लिए विशेष प्रावधानों का उपबंध किया गया है यथा निक्षेप बीमा जारी रहना और वे परिस्थितियां जिनमें इस अधिनियम के तहत पात्र सहकारी बैंकों को बंद करने की मांग की जा सकती है। सदस्यों ने विभिन्न प्रश्न किए/स्पष्टीकरण मांगे जिनके उत्तर एनएएफसीयूबी के प्रतिनिधियों ने दिए।

8. जिन प्रश्नों के उत्तर तत्काल उपलब्ध नहीं थे, संबंधित साक्षियों द्वारा चर्चा के अंत में प्रतिनिधियों को उनके लिखित उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

तत्पश्चात्, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

9. कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया है।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति की सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक सोमवार, 22 जनवरी, 2018 को 1430 बजे से 1700 बजे तक समिति कक्ष 'बी', भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री भूपेन्द्र यादव — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री निशिकांत दुबे
3. श्री गौरव गोगोई
4. डॉ॰ संजय जायसवाल
5. श्री पी॰ करूणाकरन
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री एस॰ पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा
8. श्री जगदम्बिका पाल
9. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
10. प्रो॰ सौगत राय
11. श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी

राज्य सभा

12. श्री नरेश गुजराल
13. श्री रवि प्रकाश वर्मा

विशेष आमंत्रिती

श्री सुखेन्दु शेखर रॉय

सचिवालय

1. श्रीमती सुदेश लूथरा	—	अपर सचिव
2. श्री जे॰ वी॰ जी॰ रेड्डी	—	निदेशक
3. श्री एस॰ लक्ष्मीकांत सिंह	—	उप सचिव

समिति की सहायता करने वाले मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

डॉ॰ शशांक सक्सेना — सलाहकार (एफएसआरएल)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

1. डॉ॰ जी॰ नारायण राजू — सचिव
2. डॉ॰ एन॰ आर॰ बट्टू — संयुक्त सचिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल
3. श्री दिवाकर सिंह — एडिशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री सुरेश चंद्रा — सचिव
2. डॉ॰ राजीव मणि — संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार
3. डॉ॰ आर॰ जे॰ आर॰ काशीभाटला — उप विधि सलाहकार

2. सर्वप्रथम, सभापति ने वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 के उपबंधों पर सदस्यों (एक) श्री एम॰ आर॰ उमरजी, सेवानिवृत्त कार्यकारी निदेशक, आरबीआई और; (दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड; (तीन) सोसाइटी ऑफ इन्सॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स ऑफ इंडिया (एसआईपीआई); (चार) ज्यूरिस कॉर्प एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स; (पांच) नेशनल अलायन्स ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स; (छह) अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट कोओपरेटिव बैंक्स एसोसिएशन लिमिटेड; और (सात) ऑल इंडिया रिजर्व बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए संयुक्त समिति की बुलाई गई इस बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात्, समिति के साथ (एक) आरबीआई ने और (दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के जिन प्रतिनिधियों ने साक्ष्य दिया वे निम्नवत् हैं:—

(ii) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

1. डॉ॰ एम॰ एस॰ साहू — चेयरपर्सन, आईबीबीआई
2. श्रीमती सुमन सक्सेना — बोर्ड की पूर्णकालिक सदस्य
3. डॉ॰ मुकुलिता विजयवर्गीय — बोर्ड की पूर्णकालिक सदस्य

4. चेयरपर्सन ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उनका ध्यान समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की गोपनीयता के संबंध में अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55 और 58 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर दिलाया। इसके बाद, श्री एम॰ आर॰ उमरजी ने उस विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर अपने विचार प्रस्तुत किए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्दिष्ट सेवा प्रदाताओं की परिभाषा से संबंधित खंड 2(27); निक्षेप की परिभाषा से संबंधित खंड 2(11) और खंड 14 से खंड 18 तक शामिल हैं जो जांच अन्वेषण और जब्ती की शक्ति, परिसर में प्रवेश करने और निरीक्षण करने के साथ-साथ रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को ऐसी शक्तियों के उपयोग के लिए शर्तों के बारे में बताता है।

उन्होंने खंड 25 से 28 (अध्याय 3) जो प्रणालीगत महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों के नामांकन, पदनामों के परिणामों, प्रणालीगत महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान के अ-नामांकन और केंद्र सरकार द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित हैं और अध्याय 8 में खंड पर से 46 जो सामग्रियों की श्रेणी में निर्दिष्ट सेवा प्रदाताओं के वर्गीकरण व्यवहार्यता के लिए महत्वपूर्ण जोखिम और कारण बताओ नोटिस आदि से संबंधित हैं पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

5. तत्पश्चात्, आईबीबीआई के प्रतिनिधियों ने विधेयक की दूसरी अनुसूची पर अपने विचार व्यक्त किए जो निर्दिष्ट सेवा प्रदाताओं से संबंधित है और इस संबंध में रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन, आईबीसी और दिवाला कोड के बीच न्याय क्षेत्र/अधिकार क्षेत्र के स्पष्ट विभाजन की आवश्यकता पर जोर दिया। अन्य उठाए गए विषय विधेयक की धारा 138 जो सूचना उपयोगिताओं और खंड 109(1) जो विधेयक में जुर्माने के फैसले करने की शक्ति प्रदान करता है, से संबंधित थे।

6. साक्ष्य के दौरान, सदस्यों ने कुछ प्रश्न पूछे/स्पष्टीकरण मांगे जिनके उत्तर श्री एम॰ आर॰ उमरजी और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के प्रतिनिधियों ने दिए। उनसे उन सभी प्रश्नों के लिखित उत्तर/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया जिनके उत्तर नहीं दिए जा सके थे।

तत्पश्चात्, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

7. तत्पश्चात्, (III) सोसाइटी ऑफ इन्सॉलवेंसी प्रैक्टिशनर्स ऑफ इंडिया (सीपी); (IV) ज्यूरिस कॉर्प एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स; (V) नेशनल एलायन्स ऑफ पीपल्स मूवमेंट; (VI) अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट अर्बन कॉपरेटिव बैंक्स एसोसिएशन लिमिटेड; और (VII) ऑल इंडिया रिजर्व बैक इम्प्लोइज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को अंदर बुलाया गया। मौखिक साक्ष्य के दौरान जो प्रतिनिधि मौजूद थे वे निम्नवत् हैं:—

(iii) सोसाइटी ऑफ इन्सॉलवेंसी प्रैक्टिशनर्स ऑफ इंडिया (सीपी)

1. श्री सुमंत बत्रा — चीफ मेंटर, इनसॉल इंडिया, सीपी
2. श्री अनुज जैन — केपीएमजी
3. श्री अनुराग दास — सदस्य, इनसॉल इंडिया

(iv) जुरिस कॉर्प एडवोकेट्स एंड सॉलिसिट्र्स

1. श्री जयेश एच
2. श्री शान बोटलवाला
3. सुश्री निकिता चावला

(v) नेशनल एलायन्स ऑफ पीपल्स मूवमेंट

1. श्री लिओ सलदनहा
2. श्री गौतम मोदी
3. श्री मधुरेश कुमार
4. श्री जो अथियाली
5. सुश्री माधवी बंसल

(vi) अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट अर्बन कॉपरेटिव बैंक्स एसोसिएशन लिमिटेड

1. श्री रवींद्र लोहाड़े — चेयरमैन
2. श्री वसंतराव गुड़ — निदेशक
3. श्री गिरीश धैसास — निदेशक

(vii) ऑल इंडिया रिजर्व बैंक इम्प्लोइज एसोसिएशन

1. श्री समीर घोष — महासचिव, एआईआरबीईए और रिजर्व बैंक अधिकारी और कर्मचारी संयुक्त फोरम के संयोजक
2. श्री अजय कुमार सिन्हा — महासचिव, भारतीय रिजर्व बैंक अधिकारी संघ (आरबीआईओए)
3. श्री अरुण समद्दार — अध्यक्ष, ऑल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स फेडरेशन (एआईआरबीडब्ल्यूएफ)

8. माननीय सभापति ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए समिति के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य की गोपनीयता के संबंध में लोक सभा अध्यक्ष द्वारा जारी निदेशों के निदेश 55 और 58 की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। तत्पश्चात्, (तीन) सोसाइटी ऑफ इन्सॉलवेंसी प्रैक्टिशनर्स मूवमेंट; (चार) ज्यूरिस कॉर्प एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स; (पांच) नेशनल एलायन्स ऑफ पीपल्स मूवमेंट; (छह) अर्बन कॉपरेटिव बैंक एसोसिएशन लिमिटेड; (सात) अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने एक-एक करके समिति के समक्ष साक्ष्य दिया।

9. एसआईपीआई और ज्यूरिस कॉर्प के प्रतिनिधियों ने क्रमशः विभिन्न विनियामकों और रेजल्यूशन कॉरपोरेशन के बीच बातचीत से संबंधित खंड 20(1) और विधेयक के खंड 52(1) में किए गए उपबंध बेल-इन रिजीम पर अपने विचार प्रस्तुत किए। तत्पश्चात्, नेशनल एलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट और अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने विधेयक के खंड 58 में उल्लिखित रेजल्यूशन कॉरपोरेशन की शक्तियों पर अपनी चिंता व्यक्त की। अंत में डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर में अर्बन कॉपरेटिव बैंक एसोसिएशन लिमिटेड के प्रनिधियों ने इस संदर्भ में विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने विशेष रूप से कॉपरेटिव बैंकों के संबंध में बेल-इन-क्लोज के लागू होने के मामले में आपने विचार प्रस्तुत किए।

10. सदस्यों ने विभिन्न प्रश्न पूछे/स्पष्टीकरण मांगे जिनके प्रत्येक संगठन के प्रतिनिधियों ने एक-एक करके उत्तर दिए। जिन कतिपय प्रश्नों के संबंध में उत्तर उपलब्ध नहीं थे, उनके लिखित में उत्तर/स्पष्टीकरण देने के लिए प्रतिनिधियों को कहा गया।

तत्पश्चात्, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

11. बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकार्ड में रखी गयी है।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति की आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक सोमवार, 12 फरवरी, 2018 को 1430 बजे से 1600 बजे तक समिति कक्ष 'बी', भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री भूपेन्द्र यादव — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अनिल शिरोले
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. डॉ॰ किरीट सोमैया
5. श्री निशिकान्त दुबे
6. श्री गौरव गोगोई
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री जगदम्बिका पाल
9. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
10. प्रो॰ सौगत राय
11. श्री गोपाल शेट्टी
12. श्री अभिषेक सिंह

राज्य सभा

13. श्री आनन्द शर्मा
14. श्री नरेश गुजराल
15. श्री भुवनेश्वर कालिता

विशेष आमंत्रिती

श्री सुखेन्दु शेखर राय

सचिवालय

1. श्री जे॰ वी॰ जी॰ रेड्डी — निदेशक
2. श्री सुन्दर प्रसाद दास — अपर निदेशक

मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि जिन्होंने समिति की सहायता की

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

1. डॉ॰ एम॰ एम॰ कुट्टी — अपर सचिव (ईए)
2. डॉ॰ शशांक सक्सेना — एडवाइजर (एफएसआरएल)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

1. डॉ॰ जी॰ नारायण राजू — सचिव
2. डॉ॰ एन॰ आर॰ बट्टू — संयुक्त सचिव और लेजिस्लेटिव कांउसेल
3. श्री दिवाकर सिंह — अपर विधायी कांउसेल

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री सुरेश चन्द्र — सचिव
2. डॉ॰ राजीव मणि — संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार
3. डॉ॰ आर॰ जे॰ आर॰ काशीभाटला — उप-विधि सलाहकार

2. सर्वप्रथम, सभापति ने वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 के उपबंधों पर भारतीय रिजर्व बैंक का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए बुलाई गई संयुक्त समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और समिति को सूचित किया कि आर्थिक कार्य विभाग, विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग साक्ष्य के दौरान समिति की सहायता करेंगे।

3. तत्पश्चात्, भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया:—

1. डॉ॰ उर्जित आर॰ पटेल — गवर्नर
2. श्री बी॰ पी॰ कानूनगो — उप-गवर्नर
3. श्री के॰ के॰ वोहरा — कार्यकारी निदेशक

4. सभापति ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और समिति के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य की गोपनीयता के संबंध में 'अध्यक्ष' के निदेश के निदेश 55 और 58 में अंतर्विष्ट प्रावधानों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। तत्पश्चात, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। विधेयक में यथा उपबंधित वित्तीय इकाइयों के समाधान हेतु एक समर्पित समाधान तंत्र की स्थापना का स्वागत करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने विनियामकों और समाधान निगम की भूमिका और जिम्मेदारियों में समुचित तालमेल की आवश्यकता बतायी ताकि क्षेत्राधिकारों के संघर्ष की संभावना को टाला जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने विधेयक में उपयुक्त परिवर्तनों की आवश्यकता का भी सुझाव दिया। ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि उपयुक्त विनियामक समाधान निगम को उपयुक्त विनियामक के साथ परामर्श करके शक्तियां प्रदान करने की बजाय समाधान निगम के साथ परामर्श से व्यवहार्यता के विभिन्न जोखिमों का वर्गीकरण कर सके।

5. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जोखिम वर्गीकरण, व्यवहार्यता के जोखिम का निर्धारण, वित्तीय सेवा प्रदाताओं को भावी वित्तीय महत्वपूर्ण संस्थाओं के रूप में स्थापित करना, विनियामकों और समाधान निगम के बीच जानकारी साझा करना, सर्च और सीजर इत्यादि के संबंध में समाधान निगम की शक्तियों के लिए मानदंड के संबंध में कुछ चिंताओं की ओर इशारा किया। कुछ अन्य मुद्दे जो विस्तार से उठाए गए और सदस्यों ने जिन पर प्रश्न उठाए उनमें अन्य बातों के साथ-साथ निक्षेप बीमा और उसकी लागत की सीमाओं को बढ़ाने का मुद्दा एफआरडीआई विधेयक के खंड 52(1) का बेल-इन-प्रोविजन और धोखेबाजी जैसी स्थितियों से निपटने के लिए आरबीआई के मौजूदा उपबंध, बैंकिंग प्रणाली में व्यावसायिक विफलता और कुप्रबंध शामिल हैं। कुछ प्रश्नों, उनके उत्तर तत्काल उपलब्ध नहीं थे और एक अलग प्रश्नावली जो कि आरबीआई द्वारा बैठक के कुछ दिनों बाद भेजी जाएगी, के संबंध में प्रतिनिधियों को लिखित उत्तरों/स्पष्टीकरणों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

तत्पश्चात्, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

6. कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया है।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति की नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक बुधवार, 14 मार्च, 2018 को 1500 बजे से 1530 बजे तक समिति कमरा सं. '62', प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री भूपेन्द्र यादव — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अनिल शिरोले
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. श्री निशिकांत दुबे
5. डॉ॰ संजय जायसवाल
6. श्री गजानन कीर्तिकर
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री जगदम्बिका पाल
9. प्रो॰ सौगत राय
10. श्री गोपाल शेट्टी
11. श्री शिवकुमार उदासि
12. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल

राज्य सभा

13. श्री भुवनेश्वर कालिता
14. श्री प्रफुल्ल पटेल
15. श्री अजय संचेती
16. श्री रवि प्रकाश वर्मा

सचिवालय

1.	श्रीमती सुदेश लुथरा	—	अपर सचिव
2.	श्री जे. वी. जी. रेड्डी	—	निदेशक
3.	श्री सुन्दर प्रसाद दास	—	अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के कार्य के भावी कार्यक्रम पर विचार करने के लिए बुलाई गई समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। सभापति ने समिति को बताया कि अभी तक समिति की आठ बैठकें हुई हैं और समिति ने विधेयक के उपबंधों के संबंध में 06 मंत्रालयों/विभागों तथा 20 हितधारकों का साक्ष्य लिया है। इसके अतिरिक्त समिति ने 03 से 05 अक्तूबर, 2017 तक मुंबई का अध्ययन दौरा किया जहां विधेयक के उपबंधों के संबंध में 36 हितधारकों के साथ बातचीत की गयी जिनमें आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियां, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जैसे विनियामक शामिल थे। इसके अलावा डीएवीपी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया में जारी विज्ञापनों के जवाब में सचिवालय में यथाप्राप्त हितधारकों और सामान्य जनता के ज्ञापनों को समिति के सदस्यों को भेजा जा चुका है।

3. समिति ने नोट किया कि प्रदत्त विस्तार के अनुसार समिति चालू बजट सत्र की बैठक के कार्यक्रम के अनुसार बजट सत्र के अंतिम दिन अर्थात 06.04.2018 तक विधेयक पर अपना प्रतिवेदन तैयार करना और उसे प्रस्तुत करना आवश्यक है। समिति ने अभी तक पूर्ण नहीं किए गए कार्य की समीक्षा की और नोट किया कि उसे विधेयक के उपबंधों के संबंध में कुछ और हितधारकों और नोडल मंत्रालयों तथा विभागों का साक्ष्य लेना है जिसके बाद समिति के सदस्यों से संशोधन की सूचनाएं आमंत्रित करने, विधेयक पर खंडवार विचार करने, प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे स्वीकार करने तथा संसद में प्रस्तुत करने का कार्य किया जाएगा।

4. अभी तक पूर्ण न किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए समिति ने प्रतिवेदन को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए मानसून सत्र, 2018 के अंतिम दिन तक समय विस्तार की मांग करने का निर्णय लिया और सभापति को सभा में इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव पेश करने के लिए प्राधिकृत किया जैसाकि नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत अपेक्षित है।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति की दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक सोमवार, 14 मई, 2018 को 1100 बजे से 1240 बजे तक समिति कक्ष 'सी', भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री भूपेन्द्र यादव — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डॉ॰ किरीट सोमैया
3. श्री निशिकांत दुबे
4. श्री पी॰ करूणाकरन
5. प्रो॰ सौगत राय
6. श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी
7. श्री अभिषेक सिंह

राज्य सभा

8. श्री नरेश गुजराल
9. श्री भुवनेश्वर कालिता
10. श्री रवि प्रकाश वर्मा

सचिवालय

1. श्रीमती सुदेश लूथरा — अपर सचिव
2. श्री जे॰वी॰जी॰ रेड्डी — निदेशक

मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि जिन्होंने समिति की सहायता की

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

डॉ॰ शशांक सक्सेना — एडवाइजर (एफएसआरएल)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

1. डॉ॰ एन॰ आर॰ बट्टू — संयुक्त सचिव और लेजिस्लेटिव कांउसेल
2. श्री दिवाकर सिंह — एडीशनल लेजिस्लेटिव कांउसेल

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री रामायण यादव — अपर सचिव
2. डॉ॰ आर॰जे॰आर॰ काशीभाटला — उप विधि सलाहकार

2. सर्वप्रथम, सभापति ने वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 के उपबंधों पर (एक) स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (एसआईडीबीआई) और (दो) द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए बुलाई गई संयुक्त समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. सभापति ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और समिति के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य की गोपनीयता के संबंध में अध्यक्ष के निदेश के निदेश 55 और 58 में अंतर्विष्ट प्रावधानों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। तत्पश्चात्, एसआईडीबीआई के उप प्रबंध निदेशक श्री अजय कुमार कपूर ने विभिन्न उपबंधों पर अपने विचार प्रस्तुत किए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय फर्म की व्यवहार्यता जोखिम के वर्गीकरण के संबंध में प्रभावित पक्षों की शिकायतों के निपटान के लिए समीक्षा या अपील तंत्र की कमी जमानत प्रावधानों, विदेशी समाधान कार्रवाई के संबंध में सीमित उपबंधों, समाधान निगम के फैसलों की प्रक्रिया पर अदालतों के क्षेत्राधिकार को सीमित करने संबंधित खंड 36,52,95,96,97 और 133 शामिल हैं।

4. साक्ष्य के दौरान सदस्यों ने कुछ प्रश्न पूछे/स्पष्टीकरण मांगा जिनका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) के प्रतिनिधि द्वारा जवाब दिया गया। जिन प्रश्नों के उत्तर तत्काल उपलब्ध नहीं थे उनके संबंध में, प्रतिनिधि से लिखित उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया।

तत्पश्चात्, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

5. इसके बाद, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। मौखिक साक्ष्य के दौरान निम्नलिखित प्रतिनिधि उपस्थित थे:

दो. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई)

1. श्री एम देवराज रेड्डी — भूतपूर्व अध्यक्ष
2. श्री रणजीत कुमार अग्रवाल — चेयरमैन, पीडीसी

6. प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए सभापति ने समिति के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य की गोपनीयता के संबंध में अध्यक्ष के निदेश के निदेश 55 और 58 की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया। तत्पश्चात्, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए।

7. तत्पश्चात्, प्रतिनिधियों ने जमानत संबंधी खंड 52, 'ग्राहक परिसंपत्ति के संबंध में खंड 52(7)(ख), वित्तीय फर्म की व्यवहार्यता जोखिम के वर्गीकरण के मानदंडों की आवश्यकता संबंधी खंड 42 और 36 (5), ब्रिज सर्विस प्रदाता संबंधी खंड 50, खंड 65(1) जोकि क्षेत्राधिकार और एनसीएलटी के अलावा किसी अन्य न्यायालय में कार्यवाही को अंतरित करने पर पाबंदी लगाता है और खंड 77 जिनमें निदेशकों और निगमों द्वारा परिसमाप्त किए जा रहे विशिष्ट सेवाप्रदाता की लेखापरीक्षकों की सार्वजनिक जांच का प्रावधान है, के संबंध में अपने विचार प्रकट किए।

8. सदस्यों ने विभिन्न प्रश्नों को उठाया/स्पष्टीकरण मांगे जिनका प्रत्येक संगठन के प्रतिनिधियों ने एक-एक करके जवाब दिया। कुछ प्रश्नों, जिनके जवाब आसानी से उपलब्ध नहीं थे, के संबंध में प्रतिनिधियों को लिखित उत्तरों/स्पष्टीकरणों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

तत्पश्चात्, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

9. कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया है

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति की ग्यारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक सोमवार, 4 जून, 2018 को 1500 बजे से 1620 बजे तक समिति कक्ष 'बी', भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री भूपेन्द्र यादव — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
3. डॉ॰ किरीट सोमैया
4. श्री निशिकांत दुबे
5. श्री सुधीर गुप्ता
6. डॉ॰ संजय जायसवाल
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री एस॰ पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा
9. श्री जगदम्बिका पाल
10. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
11. प्रो॰ सौगत राय
12. श्री गोपाल शेट्टी
13. श्री शिवकुमार उदासि

राज्य सभा

14. श्री आनन्द शर्मा
15. श्री नरेश गुजराल
16. श्री महेश पोद्दार
17. श्री रवि प्रकाश वर्मा

सचिवालय

1. श्रीमती सुदेश लूथरा — अपर सचिव
2. श्री जे॰वी॰जी॰ रेड्डी — निदेशक
3. श्री सुंदर प्रसाद दास — अपर निदेशक

मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि जिन्होंने समिति की सहायता की

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

1. डॉ॰ सी॰ एस॰ मोहपात्रा — सलाहकार (एफएसएंडसीएस)
2. श्री एस॰ सेलवाकुमार — एडीशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

1. डॉ॰ एन॰ आर॰ बट्टू — संयुक्त सचिव और लेजिस्लेटिव कांउसिल
2. श्री दिवाकर सिंह — संयुक्त सचिव

(विधि कार्य विभाग)

1. श्री सुरेश चन्द्र — विधि सचिव
2. डॉ॰ राजीव मणि — संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार
3. डॉ॰ आर॰ जे॰ आर॰ काशीभाटला — उप विधि सलाहकार

2. सर्वप्रथम, सभापति ने सदस्यों का समिति की बैठक में स्वागत किया जिसका आयोजन वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 के उपबंधों के संबध में (एक) द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआई), और (दो) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए किया गया था।

3. तत्पश्चात्, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के निम्नलिखित प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष साक्ष्य के लिए बुलाया गया:—

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के प्रतिनिधि

1. सीएमए संजय गुप्ता — संस्थान के अध्यक्ष
2. डॉ॰ ऋषब चंद लोढा — अध्यक्ष, आईसीएमएआई पंजीकृत वैलुएर्स संगठन
3. श्री अरविंद कुमार जैन — स्वतंत्र निदेशक, आईसीएमएआई पंजीकृत वैलुएर्स संगठन

4. सभापति ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उनका ध्यान समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की गोपनीयता के संबंध में अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 55 और 58 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर आकृष्ट किया। तत्पश्चात, प्रतिनिधि ने विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर अपने विचार प्रकट किए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित संकल्प निगम के प्रबंधन से संबंधित धारा 4 (2) शामिल है, एक प्रणालीगत महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान के रूप में नामित किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार से संबंधित खंड 25(4), बीमाकृत सेवाप्रदाताओं के बीमाकृत जमाकर्ताओं को प्रस्तावित निगम की देयता से संबंधित धारा 29(1), 29(5) और 29 (6), व्यवहार्यता के जोखिम की श्रेणियों में निर्दिष्ट सेवा प्रदाताओं के वर्गीकरण से संबंधित धारा 36, जमानत से संबंधित खंड 52, और परिसमापन के

आदेश के संबंध में खंड 63 (1) और (2) शामिल है। प्रतिनिधियों ने परिसमापन की स्थिति में संकटग्रस्त वित्तीय फर्मों के कर्मचारियों के हित पर, संस्थानों पर अधिक कर लगाने पर, परिसमापन किये जाने की स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और छात्रों को प्राथमिकता देना, शुल्क लगाने और निगरानी तंत्र को जोखिम रेटिंग आदि के साथ जोड़ने पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

5. इसके बाद सदस्यों ने कुछ प्रश्न उठाए तथा कतिपय मुद्दों पर स्पष्टीकरण की मांग की जिनका इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के प्रतिनिधि ने जवाब दिया। प्रतिनिधियों से उन प्रश्नों के संबंध में लिखित उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था जिनके उत्तर उनके पास तत्काल उपलब्ध नहीं थे।

तत्पश्चात्, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

6. तत्पश्चात्, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के प्रतिनिधियों को साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया:

(दो) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के प्रतिनिधि

1. सीएस मकरंद लेले — अध्यक्ष, आईसीएसआई
2. सीएस गोपाल कृष्ण अग्रवाल — सरकारी नामांकित, केंद्रीय परिषद सदस्य, आईसीएसआई
3. सीए अहलादा राव वी — उपाध्यक्ष, आईसीएसआई
4. सीएस दिनेश सी अरोड़ा — सचिव आईसीएसआई

7. प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए सभापति ने उनका ध्यान समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की गोपनीयता के संबंध में 'अध्यक्ष के निदेश के निदेश 55 और 58 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर आकृष्ट किया। तत्पश्चात्, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया।

8. तत्पश्चात्, प्रतिनिधियों ने विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर अपने विचार प्रकट किए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करने की शक्ति से संबंधित खंड 11, धारा 66 जो परिसमापन के रूप में निगम को शक्तियां प्रदान करता है, परिहार्य लेनदेन के लिए प्रासंगिक अवधि से संबंधित खंड 85, खंड 2(11) जमा की परिभाषा, जांच लंबित शक्तियों से संबंधित खंड 15(1) (घ), संकल्प योजना और बहाली योजना के परिवर्तन, संशोधन आदि से संबंधित खंड 41 'बैल-इन' प्रावधानों से संबंधित खंड 52, परिसमापन के आदेश से संबंधित खंड 63 और आय, मुनाफा व लाभ पर कर में छूट के संबंध में खंड 136 शामिल है। प्रतिनिधियों में उसी संगठन/संस्थानों से निपटने वाले नियामकों की बहुलता पर अपनी चिंता व्यक्त की।

9. सदस्यों ने विभिन्न प्रश्न पूछे/स्पष्टीकरण मांगे जिनका उत्तर भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के प्रतिनिधियों द्वारा दिया गया। जिन प्रश्नों के उत्तर तत्काल उपलब्ध नहीं थे, संबंधित प्रतिनिधियों को उनके लिखित उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

तत्पश्चात्, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

10. कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया है।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति की बारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, 19 जून, 2018 को 1500 बजे से 1600 बजे तक समिति कमरा सं॰ '3', प्रथम तल, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

डॉ॰ संजय जायसवाल — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डॉ॰ किरीट सोमैया
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा
5. श्री जगदम्बिका पाल
6. प्रो॰ सौगत राय
7. श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी
8. श्री शिवकुमार उदासि
9. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल

राज्य सभा

10. श्री नरेश गुजराल
11. श्री भुवनेश्वर कालिता
12. श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
13. श्री महेश पोद्दार
14. श्री रवि प्रकाश वर्मा

सचिवालय

1. श्रीमती सुदेश लूथरा — अपर सचिव
2. श्री जे॰वी॰जी॰ रेड्डी — निदेशक
3. श्री सुन्दर प्रसाद दास — अपर निदेशक

समिति की सहायता करने वाले मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

डॉ॰ शशांक सक्सेना — एडवाइजर (एफएसआरएल)

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

1. डॉ॰ जी॰ नारायण राजू — सचिव
2. डॉ॰ एन॰आर॰ बट्टू — संयुक्त सचिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल
3. श्री दिवाकर सिंह — एडिशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री सुरेश चन्द्र — विधि सचिव
2. डॉ॰ राजीव मणि — संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार
3. डॉ॰ आर॰जे॰आर॰ काशीभाटला — उप विधि सलाहकार

2. सर्वप्रथम, समिति ने समिति के सभापति की अनुपस्थिति में नियम 258(3) के अधीन डॉ॰ संजय जायसवाल को बैठक के लिए कार्यवाहक सभापति चुना। तत्पश्चात् कार्यवाहक सभापति ने "वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017" के उपबंधों पर पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए आयोजित की गई संयुक्त समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात्, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के निम्नलिखित प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया:–

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के प्रतिनिधि

1. श्री हेमन्त जी॰ कान्ट्रेक्टर — चेयरमैन
2. श्री ए॰जी॰ दास — कार्यकारी निदेशक
3. श्री राहुल रविन्द्रन — महाप्रबंधक

4. कार्यवाहक सभापति ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की गोपनीयता से संबंधित लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 55 और 58 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि पीएफआरडीए अधिनियम के अंतर्गत यथापरिभाषित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का तात्पर्य है न्यासी बोर्ड जो ग्राहकों की परिसंपत्तियों को उनके लाभ के लिए रखता है और इस प्रकार यह उपभोक्ताओं की निधियों का विधिक स्वामी होता है और पेंशन निधियों द्वारा इसके नाम पर सभी निवेश किए जाते हैं। आईबीसी और एफआरडीआई के अंतर्गत इसके कवरेज के संबंध में पीएफआरडीए के मत में परिवर्तन के मुद्दे पर पीएफआरडीए ने बताया कि वर्तमान स्थिति के अनुसार पीएफआरडीए ने आईबीसी के अंतर्गत कवर किए जाने का सुझाव दिया है। यह भी स्पष्ट किया गया कि पीएफआरडीए अधिनियम के अंतर्गत उनके लिए गारन्टीशुदा पेंशन योजना का प्रस्ताव करना आवश्यक है जिसे वह तैयार कर रहे हैं। यदि वह गारन्टीशुदा पेंशन योजना आती है तो पेंशन निधि प्रबंधकों का अपने ग्राहकों के प्रति कर्त्तव्य होगा जिस स्थिति में इसे एफआरडीआई तंत्र के अंतर्गत अधिक उपयुक्त ढंग से रखा जाएगा।

5. तत्पश्चात् सदस्यों ने कुछ प्रश्न उठाए/स्पष्टीकरण मांगे जिनका उत्तर पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के प्रतिनिधियों द्वारा दिया गया। प्रतिनिधियों से कहा गया कि वे उन प्रश्नों, जिनके उत्तर उनके पास तुरंत उपलब्ध नहीं हैं, के लिखित उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

तत्पश्चात्, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

6. कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया है।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति की तेरहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक सोमवार, 30 जुलाई, 2018 को 1500 बजे से 1530 बजे तक समिति कक्ष 'डी', भूतल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री भूपेन्द्र यादव — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अनिल शिरोले
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. डॉ॰ किरीट सोमैया
5. श्री निशिकांत दुबे
6. डॉ॰ संजय जायसवाल
7. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
8. श्री गोपाल सी॰ शेट्टी
9. श्री शिवकुमार उदासि
10. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल

राज्य सभा

11. श्री नरेश गुजराल
12. श्री भुवनेश्वर कालिता
13. श्री महेश पोद्दार
14. श्री सुखेन्दु शेखर रॉय

सचिवालय

1. श्रीमती सुदेश लूथरा — अपर सचिव
2. श्री जे॰वी॰जी॰ रेड्डी — निदेशक
3. श्री सुन्दर प्रसाद दास — अपर निदेशक

मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि जिन्होंने समिति की सहायता की

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

1. श्री सुभाष चन्द्र गर्ग — सचिव (ईए)
2. डॉ॰ शशांक सक्सेना — एडवाइजर (एफएसआरएल)

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

1. डॉ॰ एन॰ आर॰ बट्टू — संयुक्त सचिव और लेजिस्टलेटिव काउंसिल
2. श्री दिवाकर सिंह — एडीशनल लेजिस्टलेटिव काउंसिल

(विधिक कार्य विभाग)

1. श्री सुरेश चन्द्र — सचिव
2. डॉ॰ राजीव मणि — संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार
3. डॉ॰ आर॰जे॰आर॰ काशीभाटला — उप विधि सलाहकार

2. सर्वप्रथम, सभापति ने सदस्यों एवं आर्थिक कार्य विभाग, विधायी विभाग और विधिक कार्य विभाग के प्रतिनिधियों का संयुक्त समिति की बैठक में स्वागत किया जिसका आयोजन वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए 'वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017' को वापस लेने के प्रस्ताव की सूचना और उसके लिए जिम्मेदार कारणों को बताने वाले विवरण, जिसे कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 110 के पहले परंतुक के अंतर्गत संयुक्त समिति को भेजा गया था और इस संबंध में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे स्वीकार के लिए किया गया था।

3. समिति ने विधेयक को वापस लेने के प्रस्ताव की सूचना के साथ उसके लिए जिम्मेदार कारणों को बताने वाले विवरण पर विचार किया। विचार-विमर्श के पश्चात् समिति विधेयक को वापस लेने के सरकार के प्रस्ताव से सहमत हुई और विधेयक को वापस लेने की अनुमति दिए जाने की सिफारिश करने का फैसला किया।

4. तत्पश्चात्, समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

5. समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार करने के पश्चात निम्नलिखित मुद्दों को लिया:—

(एक) समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य के रिकॉर्ड को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाए।

(दो) समिति के सदस्यों को यथा परिचालित विधेयक के उपबंधों के संबंध में पणधारकों की टिप्पणियों और सुझावों को अंतर्विष्ट करने वाले ज्ञापन के दो सेट को प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् संसद के सदस्यों के संदर्भ के लिए संसदीय ज्ञानपीठ में रखा जाए।

(तीन) सभापति को प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने एवं उसे लोक सभा में प्रस्तुत करने/सभा पटल पर रखने के लिए प्राधिकृत किया।

6. सभापति ने समिति के सदस्यों का ध्यान निदेश 85 से 87 की ओर आकृष्ट किया और बताया कि विमत टिप्पण प्रस्तुत करने के इच्छुक सदस्य 31.7.2018 को 1200 बजे तक इसे प्रस्तुत करें।

7. सभापति ने अपनी समापन टिप्पणी में पूर्ण समर्थन और सहयोग देने, जिससे वे विधेयक से संबंधित प्रतिवेदन की जांच कर पाए और उसे अंतिम रूप दे पाए, के लिए संयुक्त समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। इसके बाद, सभापति ने समिति के समक्ष अपने विचार रखने के लिए विभिन्न पणधारकों को धन्यवाद दिया। सभापति ने आर्थिक कार्य विभाग, विधायी विभाग और विधिक कार्य विभाग के सचिवों और उनके कार्यालयों की टीम को भी आवश्यक सूचना/दस्तावेज उपलब्ध कराने तथा समिति को बहुमूल्य सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। तत्पश्चात्, सभापति ने लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मियों द्वारा समिति को दी गयी निरंतर सहायता के लिए उनकी सराहना की।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

MGIPMRND—1651LS—31.08.2018.

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित।

लोक सभा

वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

सोलहवीं लोक सभा

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
अगस्त, 2018/*श्रावण*, 1940 *(शक)*